"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22--छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30 5 2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012 2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 जून 2013—आषाढ़ 7, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जून 2013

क्रमांक ई 7- 22/2004/2—श्री आर. सी. सिन्हा, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को दि. 19-11-12 से 20-11-2012 तक (02 दिवस) लघुकृत अवकाश (कार्योत्तर) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिन्हा, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

3. अवकाश काल में श्री सिन्हा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिन्हा अवकाश पर नहीं जाते तो, अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 जून 2013

क्रमांक ई 7-37/2004/1-2—श्री डी. के. श्रीवास्तव, सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दि. 11-06-13 से 05-07-2013 तक (25 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री श्रीवास्तव सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री श्रीवास्तव को वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. सोनी, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जून 2013

क्रमांक एफ 1/03/दो-गृह/भापुसे/2012.—राज्य शासन, एतद्द्वारा निम्नांकित रेंज पुलिस महानिरीक्षकों को उनके क्षेत्राधिकार अंतर्गत पदेन पुलिस महानिरीक्षक, नक्सल आपरेशन घोषित करता है :—

क्र.	पुलिस रेंज
(1)	(2)
1.	पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज
2.	पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज
3.	पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज
4.	पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज
5.	पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज

2. उक्त अधिकारीगण नक्सल आपरेशन से संबंधित विषयों (मुद्दों) के संबंध में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, नक्सल आपरेशन, पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जून 2013

क्रमांक एफ 4—22/20—दो/2009.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ के राज्यपाल, एतदद्वारा, छत्तीसगढ शिक्षा विभाग तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 के खण्ड (क) एवं (ञ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

   (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है यथास्थिति, संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ एवं संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर या अधीनस्थ अधिकारी, जिसे नियुक्ति की शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो या भविष्य में शक्ति प्रत्यायोजित की जाये;

   (ञ) "संचालक" से अभिप्रेत है यथास्थिति, संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ एवं संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर;"

2. नियम 8 के उप—नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

   "(3) फीस— अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा।"

3. नियम 11 के उप—नियम (4) में, शब्द "महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण 30 प्रतिशत होगा" के पश्चात् भाब्द " इस संबंध में भासन द्वारा समय—समय पर घोशित आरक्षण का प्रति ात लागू होगा" जोड़ा जाये।

4. नियम 15 के उप—नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

   "ऐसी सूची में सम्मिलित करने के लिये चयन, सभी मामलो में वरिष्ठता का सम्यक् ध्यान रखते हुए वरिष्ठता—सह—उपयुक्तता पर आधारित होगा।"

5. नियम 15 के उप—नियम (3) का परन्तुक विलोपित किया जाए।

6. नियम 16 के शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात :—

   "16. नियुक्ति प्राधिकारी का अनुमोदन,—"

7. अनुसूची–एक, दो, तीन, तथा चार के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"अनुसूची–एक (अ)
(नियम 5 देखिये)

लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी

(अ) लिपिक वर्गीय श्रेणी–

स.क्र.	पद के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान / ग्रेड वेतन	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अधीक्षक	01	तृतीय श्रेणी	रू 9300–34800 ग्रेड वेतन 4300	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर
2.	सहायक अधीक्षक	04	तृतीय श्रेणी	रू 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर
3.	सहायक ग्रेड–1	11	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर
4.	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	01	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर
5.	सहायक ग्रेड–II	16	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 2400	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर
6.	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	03	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 2400	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर
7.	सहायक ग्रेड–III	22	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर

(ब) अलिपिक वर्गीय श्रेणी–

स.क्र.	पद के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान / ग्रेड वेतन	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	स्टेनो ग्रेड–1	01	तृतीय श्रेणी	रू 9300–34800 ग्रेड वेतन 4400	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर
2.	स्टेनो ग्रेड–2	01	तृतीय श्रेणी	रू 9300–34800 ग्रेड वेतन 4300	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर
3.	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	02	तृतीय श्रेणी	रू 9300–34800 ग्रेड वेतन 4300	प्रतिनियुक्ति
4.	ग्रंथपाल उच्च वेतनमान	01	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	स्टेनो ग्रेड–3	03	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर
6.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	04	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर
7.	स्टेनोटायपिस्ट	03	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर
8.	वाहन चालक	05	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची–एक (ब)
(नियम 5 देखिये)

लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ के अधीन जिला शिक्षा कार्यालय के कर्मचारी

(अ) लिपिक वर्गीय श्रेणी–

स.क.	पद के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान / ग्रेड वेतन	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मुख्य लिपिक जिला कार्यालय	20	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	जिला शिक्षा अधिकारी
2.	सहायक ग्रेड–1	40	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	जिला शिक्षा अधिकारी
3.	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	20	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	जिला शिक्षा अधिकारी
4.	सहायक ग्रेड–II / लेखापाल	1863	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 2400	जिला शिक्षा अधिकारी
5.	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	40	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 2400	जिला शिक्षा अधिकारी
6.	सहायक ग्रेड–III	2640	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900	जिला शिक्षा अधिकारी

(ब) अलिपिक वर्गीय श्रेणी–

स.क.	पद के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान / ग्रेड वेतन	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	स्टेनो ग्रेड–2	07	तृतीय श्रेणी	रू 9300–34800 ग्रेड वेतन 4300	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़., रायपुर
2.	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	20	तृतीय श्रेणी	रू 9300–34800 ग्रेड वेतन 4300	संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़., रायपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	वरिष्ठ पी.टी.आई. (शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय हेतु)	04	तृतीय श्रेणी	रू 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	जिला शिक्षा अधिकारी
4.	स्टेनो ग्रेड–3	13	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	जिला शिक्षा अधिकारी
5.	ग्रंथपाल उच्च वेतनमान (1) जिला ग्रंथालय हेतु (2) शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय हेतु	08 01	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़., रायपुर
6.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	111	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900	जिला शिक्षा अधिकारी
7.	अन्वेषक	61	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900	जिला शिक्षा अधिकारी
8.	वाहन चालक	20	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900	जिला शिक्षा अधिकारी

अनुसूची–एक (स)
(नियम 5 देखिये)

संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एवं इसकी अधीनस्थ संस्थाओं के कर्मचारी

(अ) लिपिक वर्गीय श्रेणी–

स.क.	पद के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान / ग्रेड वेतन	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहायक अधीक्षक रा.शै.अनु.एवं प्रशि.परिषद्	01	तृतीय श्रेणी	रू 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, रायपुर
2.	मुख्य लिपिक 1.उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान (आई.ए.एस.ई.) 2.शिक्षा महाविद्यालय	01 01	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, रायपुर
3.	सहायक ग्रेड–2 / लेखापाल 1.रा.शै.अनु.एवं प्रशि. परिषद् 2.रा.शै.प्रबं.एवं प्रशि. संस्थान 3.आंग्ल भा. प्रशि संस्थान 4.उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान 5. शिक्षा महाविद्यालय	08 01 01 01 01	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 2400	संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, रायपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	सहायक ग्रेड–III 1.रा.शै.अनु.एवं प्रशि .परिषद् 2.रा.शै.प्रबं.एवं प्रशि .संस्थान 3.आंग्ल भा. प्रशि संस्थान 4.उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान 5. शिक्षा महाविद्यालय	 11 01 01 03 03	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900	संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, रायपुर

(ब) अलिपिक वर्गीय श्रेणी–

स.क्र.	पद के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान/ग्रेड वेतन	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आर्टिस्ट रा.शै.अनु.एवं प्रशि .परिषद्	01	तृतीय श्रेणी	रू 9300–34800 ग्रेड वेतन 4400	संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, रायपुर
2.	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी रा.शै.अनु.एवं प्रशि .परिषद्	01	तृतीय श्रेणी	रू 9300–34800 ग्रेड वेतन 4300	प्रतिनियुक्ति
3.	स्टेनो ग्रेड–3 रा.शै.अनु.एवं प्रशि .परिषद्	02	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, रायपुर
4.	ग्रंथपाल 1.रा.शै.अनु.एवं प्रशि .परिषद् 2.उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान 3. शिक्षा महाविद्यालय	 01 01 01	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, रायपुर
5.	सहायक ग्रंथपाल रा.शै.प्रबं.एवं प्रशि .संस्थान	01	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, रायपुर
6.	कम्प्यूटर डिजाईनर रा.शै.अनु.एवं प्रशि .परिषद	01	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 2400	संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, रायपुर
7.	तकनीकी सहायक प्रशिक्षक रा.शै.प्रबं.एवं प्रशि .संस्थान	01	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 2400	संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, रायपुर
8.	स्टेनोटायपिस्ट रा.शै.अनु.एवं प्रशि .परिषद्	03	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900	संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, रायपुर
9.	डाटा एन्ट्री आपरेटर 1.रा.शै.अनु.एवं प्रशि .परिषद् 2.रा.शै.प्रबं.एवं प्रशि .संस्थान 3.आंग्ल भा. प्रशि .संस्थान (संविदा)	 02 02 01	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900	संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, रायपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	वाहन चालक 1 रा.शै.अनु.एवं प्रशि.परिषद् 2.उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान 3 शिक्षा महाविद्यालय	 01 01 01	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900	संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, रायपुर

अनुसूची–एक (द)
(नियम 5 देखिये)

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अधीन आने वाले जिला शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के कर्मचारी

(अ) लिपिक वर्गीय श्रेणी–

स.क्र.	पद के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान / ग्रेड वेतन	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कार्यालय अधीक्षक जि.शि.एवं प्रशि .संस्थान	07	तृतीय श्रेणी	रू 9300–34800 ग्रेड वेतन 4300	संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, रायपुर
2.	सहायक ग्रेड– I जि.शि.एवं प्रशि .संस्थान	09	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, रायपुर
3.	सहायक ग्रेड II / गणक 1.जि.शि.एवं प्रशि संस्थान 2.बुनि. प्रशि संस्थान	 32 02	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 2400	संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, रायपुर
4.	सहायक ग्रेड–III 1.जि.शि.एवं प्रशि .संस्थान 2.बुनि. प्रशि संस्थान 3.जि. आंग्ल भा. केन्द्र	 110 02 03	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
5.	अंग्रेजी टायपिस्ट जि आंग्ल भा. केन्द्र	03	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

(ब) अलिपिक वर्गीय श्रेणी–

स.क.	पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान / ग्रेड वेतन	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	स्टेटीशियन जि.शि.एवं प्रशि संस्थान	07	तृतीय श्रेणी	रू 9300–34800 ग्रेड वेतन 4300	संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, रायपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	सहायक प्रोग्रामर जि.शि.एवं प्रशि .संस्थान	09	तृतीय श्रेणी	रू 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, रायपुर
3.	छात्रावास अधीक्षक जि.शि.एवं प्रशि संस्थान	09	तृतीय श्रेणी	रू 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, रायपुर
4.	स्टेनो ग्रेड–3 जि.शि.एवं प्रशि .संस्थान	16	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
5.	पुस्तकालयाध्यक्ष जि.शि एवं प्रशि .संस्थान	07	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	प्राचार्य,जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
6.	सहायक ग्रंथपाल जि.शि.एवं प्रशि .संस्थान	09	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	प्राचार्य,जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
7.	डाटा एन्ट्री आपरेटर जि.शि.एवं प्रशि .संस्थान	09	तृतीय श्रेणी	रू 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900	प्राचार्य,जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

अनुसूची–दो (अ)
(नियम 6 देखियें)

लोक शिक्षण संचालनालय के कर्मचारी

(अ) लिपिक वर्गीय श्रेणी–

स.क.	पद के नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत		अन्य सेवाओं से कर्मचारियों के स्थानांतरण द्वारा	टिप्पणी
			सीधी भर्ती द्वारा	सेवा में मूल अस्थाई सदस्यों की पदोन्नति द्वारा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	अधीक्षक	01	–	100 प्रतिशत	–	–
2.	सहायक अधीक्षक	04	–	100 प्रतिशत	–	–
3.	सहायक ग्रेड–1	11	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	–	–
4.	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	01	–	100 प्रतिशत	–	–
5.	सहायक ग्रेड–II	16	–	100 प्रतिशत	–	–
6.	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	03	–	100 प्रतिशत	–	–
7	सहायक ग्रेड–III	22	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	–	सहायक ग्रेड III के स्वीकृत पदों के 25 प्रतिशत पदों में नियमित भृत्यों को पदोन्नति दी जायेगी

(ब) अलिपिक वर्गीय श्रेणी–

स.क.	पद के नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत		अन्य सेवाओं से कर्मचारियों के स्थानांतरण द्वारा	टिप्पणी
			सीधी भर्ती द्वारा	सेवा में मूल अस्थाई सदस्यों की पदोन्नति द्वारा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	स्टेनो ग्रेड–1	01	–	100 प्रतिशत	–	–
2.	स्टेनो ग्रेड–2	01	–	100 प्रतिशत	–	–
3.	सहायक सांख्यकीय अधिकारी	02	–	–	–	सांख्यकीय विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा
4.	ग्रंथपाल उच्च वेतनमान	01	–	100 प्रतिशत	–	–
5.	स्टेनो ग्रेड–3	03	80 प्रतिशत	20 प्रतिशत	–	–
6.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	05	100 प्रतिशत	–	–	–
7	स्टेनोटायपिस्ट	03	100 प्रतिशत	–	–	–
8.	वाहन चालक	05	100 प्रतिशत	–	–	–

अनुसूची–दो (ब)
(नियम 6 देखियें)

लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ के अधीन आने वाले जिला शिक्षा कार्यालय के कर्मचारी

(अ) लिपिक वर्गीय श्रेणी–

स.क.	पद के नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत		अन्य सेवाओं से कर्मचारियों के स्थानांतरण द्वारा	टिप्पणी
			सीधी भर्ती द्वारा	सेवा में मूल अस्थाई सदस्यों की पदोन्नति द्वारा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मुख्य लिपिक	20	–	100 प्रतिशत	–	–
2.	सहायक ग्रेड– I	40	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	–	–
3.	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	20	–	100 प्रतिशत	–	–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	सहायक ग्रेड–II/ लेखापाल	1862	—	100 प्रतिशत	—	—
5.	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	40	—	100 प्रतिशत	—	—
6.	सहायक ग्रेड–III	2855	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	—	

(ब) अलिपिक वर्गीय श्रेणी–

स.क.	पद के नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत		अन्य सेवाओं से कर्मचारियों के स्थानांतरण द्वारा	टिप्पणी
			सीधी भर्ती द्वारा	सेवा में मूल अस्थायी सदस्यों की पदोन्नति द्वारा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	स्टेनो ग्रेड–2	07	—	100 प्रतिशत	—	—
2.	सहायक सांख्यकीय अधिकारी	20	—	100 प्रतिशत	—	—
3.	वरिष्ठ पी.टी.आई. (शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय)	04	—	100 प्रतिशत	—	नियमित कर्मचारियों की अनुपलब्धता की दशा में सीमित परीक्षा के माध्यम से (शिक्षा कर्मी पी.टी. आई.)
4.	ग्रंथपाल उच्च वेतनमान के लिये 1.जिला हेतु 2.शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय	 08 01	 — —	 100 प्रतिशत 100 प्रतिशत	—	नियमित कर्मचारियों की अनुपलब्धता की दशा में सीमित परीक्षा के माध्यम से (शिक्षा कर्मी ग्रन्थपाल)
5.	स्टेनो ग्रेड–3	13	80 प्रतिशत	20 प्रतिशत	—	—
6.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	111	100 प्रतिशत	—	—	—
7.	अन्वेषक	61	100 प्रतिशत	—	—	—
8.	वाहन चालक	20	100 प्रतिशत	—	—	—

अनुसूची—दो (स)
(नियम 6 देखियें)

संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एवं इसकी अधीनस्थ संस्थाओं के कर्मचारी

(अ) लिपिक वर्गीय श्रेणी—

स.क्र.	पद के नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत		अन्य सेवाओं से कर्मचारियों के स्थानांतरण द्वारा	टिप्पणी
			सीधी भर्ती द्वारा	सेवा में मूल अस्थाई सदस्यों की पदोन्नति द्वारा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सहायक अधीक्षक रा.शै.अनु.एवं प्रशि.परिषद्	01	—	100 प्रतिशत	—	—
2.	मुख्य लिपिक 1.उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान 2.शिक्षा महाविद्यालय	01 01	—	100 प्रतिशत	—	—
3.	सहायक सहायक ग्रेड II / लेखापाल 1.रा.शै.अनु.एवं प्रशि.परिषद् 2.रा.शै.प्रबं.एवं प्रशि .संस्थान 3.आंग्ल भा. प्रशि .संस्थान 4.उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान 5. शिक्षा महाविद्यालय	08 01 01 01 01	—	100 प्रतिशत	—	—
4.	सहायक ग्रेड—III 1.रा.शै.अनु.एवं प्रशि.परिषद् 2.रा.शै.प्रबं.एवं प्रशि.संस्थान 3.आंग्ल भा.प्रशि.संस्थान 4.उन्नत अध्गगन शिक्षण संस्थान 5. शिक्षा महाविद्यालय	11 01 01 03 03	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	—	सहायक ग्रेड III के स्वीकृत पदों के 25 प्रतिशत पदों में नियमित भृत्यों को पदोन्नति दी जायेगी

(ब) अलिपिक वर्गीय श्रेणी—

स.क्र.	पद के नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत		अन्य सेवाओं कर्मचारियों के स्थानांतरण द्वारा	टिप्पणी
			सीधी भर्ती द्वारा	सेवा में मूल अस्थाई सदस्यों की पदोन्नति द्वारा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	आर्टिस्ट रा.शै.अनु.एवं प्रशि.परिषद्	01	100 प्रतिशत	—	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी रा.शै.अनु.एवं प्रशि.परिषद्	01	—	—	—	प्रतिनियुक्ति द्वारा
3.	स्टेनो ग्रेड–3 रा.शै.अनु.एवं प्रशि.परिषद्	02	100 प्रतिशत	—	—	—
4.	ग्रंथपाल 1.रा.शै.अनु.एवं प्रशि.परिषद् 2.उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान 3.शिक्षा महाविद्यालय	 01 01 01	—	100 प्रतिशत	—	—
5.	सहायक ग्रंथपाल रा.शै.प्रबं.एवं प्रशि.संस्थान	01	100 प्रतिशत	—	—	—
6.	कम्प्यूटर डिजाईनर रा.शै.अनु.एवं प्रशि.परिषद	01	100 प्रतिशत	—	—	—
7.	तकनीकी सहायक प्रशिक्षक रा.शै.प्रबं.एवं प्रशि.संस्थान	01	100 प्रतिशत	—	—	—
8.	डाटा एन्ट्री आपरेटर 1.रा.शै.अनु.एवं प्रशि.परिषद् 2.रा.शै.प्रबं.एवं प्रशि.संस्थान 3.आंग्ल भा.प्रशि.संस्थान (संविदा)	 02 02 01	100 प्रतिशत	—	—	—
9.	स्टेनोटायपिस्ट रा.शै.अनु.एवं प्रशि.परिषद्	03	100 प्रतिशत	—	—	—
10.	वाहन चालक 1.रा.शै.अनु.एवं प्रशि.परिषद् 2.उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान 3 शिक्षा महाविद्यालय	 01 01 01	100 प्रतिशत	—	—	—

अनुसूची–दो (द)
(नियम 6 देखियें)

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अधीन आने वाले जिला शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के कर्मचारी

(अ) लिपिक वर्गीय श्रेणी–

स.क.	पद के नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत		अन्य सेवाओं से कर्मचारियों के स्थानांतरण द्वारा	टिप्पणी
			सीधी भर्ती द्वारा	सेवा में मूल अस्थाई सदस्यों की पदोन्नति द्वारा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कार्यालय अधीक्षक जि.शि.एवं प्रशि.संस्थान	07	–	100 प्रतिशत	–	–
2.	सहायक ग्रेड–1 जि.शि.एवं प्रशि.संस्थान	09	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	–	–
3.	सहायक सहायक ग्रेड II/ गणक 1.जि.शि.एवं प्रशि.संस्थान 2.बुनि. प्रशि.संस्थान	 32 02	–	100 प्रतिशत	–	–
4.	सहायक ग्रेड–III 1.जि शि.एवं प्रशि.संस्थान 2.बुनि. प्रशि.संस्थान 3.जि. आंग्ल भा. केन्द्र	 110 02 03	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	–	सहायक ग्रेड III के स्वीकृत पदों के 25 प्रतिशत पदों में नियमित भृत्यों को पदोन्नति दी जायेगी
5.	अंग्रेजी टायपिस्ट जि. आंग्ल भा. केन्द्र	03	100 प्रतिशत	–	–	–

(ब) अलिपिक वर्गीय श्रेणी–

स.क.	पद के नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत		अन्य सेवाओं से कर्मचारियों के स्थानांतरण द्वारा	टिप्पणी
			सीधी भर्ती द्वारा	सेवा में मूल अस्थाई सदस्यों की पदोन्नति द्वारा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	स्टेटीशियन जि.शि.एवं प्रशि.संस्थान	07	100 प्रतिशत	–	–	
2.	स्टेनो ग्रेड–3 जि.शि.एवं प्रशि.संस्थान	16	100 प्रतिशत	–	–	
3.	सहायक प्रोग्रामर जि.शि.एवं प्रशि.संस्थान	09	100 प्रतिशत	–	–	
4.	छात्रावास अधीक्षक जि.शि.एवं प्रशि.संस्थान	09	–	–	–	शिक्षक संकाय से प्रतिनियुक्ति
5.	पुस्तकालयाध्यक्ष जि.शि.एवं प्रशि.संस्थान	07	–	100 प्रतिशत	–	
6.	सहायक ग्रंथपाल जि.शि.एवं प्रशि.संस्थान	09	100 प्रतिशत	–	–	
7.	डाटा एन्ट्री आपरेटर जि.शि.एवं प्रशि.संस्थान	09	100 प्रतिशत	–	–	

अनुसूची–तीन (अ)
(नियम 8 देखिये)

संचालनालय लोक शिक्षण के कर्मचारी

(अ) लिपिक वर्गीय श्रेणी–

स.क.	पद के नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं	चयन समिति	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सहायक ग्रेड–3	18	30 (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण. 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र, तथा 3. कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग में 5,000 की (key)डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए ।	1. संचालक, लोक शिक्षण या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य– अध्यक्ष 2. उप संचालक, लोक शिक्षण– सदस्य 3. सहायक संचालक, स्थापना –सदस्य सचिव	

(ब) अलिपिक वर्गीय श्रेणी :–

स.क्र.	पद के नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं	चयन समिति	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	स्टेनो ग्रेड–3	18	30 (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण. 2. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था या शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद से:– (क) हिन्दी शीघ्रलेखक के लिए कमशः 100 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन. (ख) अंग्रेजी शीघ्रलेखक के लिए कमशः 100 शब्द प्रति मिनट तथा 35 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में अंग्रेजी टाईप लेखन. (स) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अंग्रेजी तथा हिन्दी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में टाईप लेखन परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने का प्रमाण पत्र धारण करता हो । 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र तथा डाटा एन्ट्री में 10,000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए ।	1. संचालक, लोक शिक्षण या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य–अध्यक्ष 2. उप संचालक, लोक शिक्षण–सदस्य 3. सहायक संचालक, स्थापना –सदस्य सचिव	
2.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	18	30	1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/विश्वविद्यालय से कक्षा 12 वीं (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण. अथवा 10 वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा.	1. संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य–अध्यक्ष 2. उप संचालक, लोक शिक्षण–सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				2. डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति.	3. सहायक संचालक, स्थापना – सदस्य सचिव	
3.	टेनो टाइपिस्ट	18	30	1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण. 2. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट की गति से कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन परीक्षा उत्तीर्ण साथ ही शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति, 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाण– पत्र तथा डाटा एन्ट्री में 5,000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए ।	1. संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य–अध्यक्ष 2. उप संचालक, लोक शिक्षण–सदस्य 3. सहायक संचालक, स्थापना –सदस्य सचिव	
4.	वाहन चालक	18	30	1. हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण । 2. भारी तथा हल्के वाहन चालन हेतु ड्रायविंग लाईसेंस रखता हो ।	1. संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य–अध्यक्ष 2. उप संचालक, लोक शिक्षण–सदस्य 3. सहायक संचालक, स्थापना –सदस्य सचिव	

अनुसूची–तीन (ब)
(नियम 8 देखिये)

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के अधीन आने वाले जिला शिक्षा कार्यालय के कर्मचारी

(अ) लिपिक वर्गीय श्रेणी–

स.क्र.	पद के नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं	चयन समिति	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सहायक ग्रेड–3	18	30 (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण. 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र, तथा 3. कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग में 5,000 की (key)डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए ।	1. जिला शिक्षा अधिकारी –अध्यक्ष 2. जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी –सदस्य 3. सहायक संचालक, स्थापना – सदस्य सचिव	

(ब) अलिपिक वर्गीय श्रेणी–

स.क	पद के नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं	चयन समिति	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सहायक सांख्यकीय अधिकारी	18	30 (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	1.अर्थशास्त्र/वाणिज्य/गणित/मनोविज्ञान, जिसमें सांख्यकीय एक पेपर के रूप में सम्मिलित हो, में स्नातकोत्तर डिग्री. या 2 सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर डिग्री.	1. संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य–अध्यक्ष 2. उप संचालक, लोक शिक्षण– सदस्य 3. सहायक संचालक, स्थापना –सदस्य सचिव	
2.	वरिष्ठ पी टी आई (शा.शिक्षा महाविद्या लय)	18	30 (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	1. स्नातक डिग्री तथा शा.शिक्षा में डिप्लोमा. 2. शासकीय/पंचायत शाला में न्यूनतम तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव. 3. शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्रीधारी को प्राथमिकता दी जायेगी.	1. जिला शिक्षा अधिकारी– अध्यक्ष 2. जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी –सदस्य 3. सहायक संचालक, स्थापना – सदस्य सचिव	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	ग्रंथपाल उच्च वेतनमान (1)जिला ग्रंथालय हेतु (2) शा. शिक्षा महा–विद्यालय हेतु	18	30 (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	1.स्नातक डिग्री तथा पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री/डिप्लोमा 2.शासकीय शाला में ग्रंथपाल के रूप में तीन वर्ष के कार्य का अनुभव.	1. संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य–अध्यक्ष 2. उप संचालक, लोक शिक्षण– सदस्य 3. सहायक संचालक, स्थापना –सदस्य सचिव	
4.	अन्वेषक	18	30 (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	1. अर्थशास्त्र/गणित/वाणिज्य में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण 2. कम्प्यूटर में डी सी ए उत्तीर्ण को प्राथमिकता दी जायेगी	1. जिला शिक्षा अधिकारी– अध्यक्ष 2. जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी–सदस्य 3. सहायक संचालक, स्थापना – सदस्य सचिव	
5.	स्टेनो ग्रेड–3	18	30 (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण. 2. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था या शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद से:– (क) हिन्दी शीघ्रलेखक के लिए कमशः 100 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन. (ख) अंग्रेजी शीघ्रलेखक के लिए कमशः 100 शब्द प्रति मिनट तथा 35 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में अंग्रेजी टाईप लेखन. (ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अंग्रेजी तथा हिन्दी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में टाईप लेखन, परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने का प्रमाण पत्र धारण करता हो.	1. जिला शिक्षा अधिकारी– अध्यक्ष 2. जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी –सदस्य 3. सहायक संचालक, स्थापना– सदस्य सचिव	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री में 10,000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए.		
6.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	18	30 (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/विश्वविद्यालय से कक्षा 12 वीं (10+2) परीक्षा बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण, अथवा कक्षा 10 वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम. 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति.	1. जिला शिक्षा अधिकारी– अध्यक्ष 2. जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी – सदस्य 3. सहायक संचालक, स्थापना – सदस्य सचिव	
7.	वाहन चालक	18	30 (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	1. हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण । 2. भारी तथा हल्के वाहन चालन हेतु ड्रायविंग लाईसेंस रखता हो ।	1. जिला शिक्षा अधिकारी– अध्यक्ष 2. जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी –सदस्य 3. सहायक संचालक, स्थापना – सदस्य सचिव	

अनुसूची–तीन (स)

(नियम 8 देखिये)

संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एवं इसकी अधीनस्थ संस्थाओं के कर्मचारी

(अ) लिपिक वर्गीय श्रेणी–

स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं	चयन समिति	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सहायक ग्रेड–III	18	30 (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण. 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री	1. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य–अध्यक्ष	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				आपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र, तथा 3. कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग में 5,000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए ।	2. प्राचार्य, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान/शिक्षा महाविद्यालय– सदस्य 3. सहायक संचालक/सहा प्राध्यापक स्थापना –सदस्य सचिव	

(ब) अलिपिक वर्गीय श्रेणी–

स.क्र.	पद के नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं	चयन समिति	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	आर्टिस्ट	18	30 (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	1. मान्यता प्राप्त संस्था से ललित कला में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि. 2. शासकीय /अर्द्धशासकीय संस्था में संबंधित क्षेत्र में कार्य का 05 वर्षीय अनुभव.	1. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य –अध्यक्ष 2. प्राचार्य, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान/शिक्षा महाविद्यालय– सदस्य 3. सहायक संचालक/सहा प्राध्यापक स्थापना– सदस्य सचिव	
2.	सहायक ग्रंथपाल	18	30 (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	1. स्नातक डिग्री तथा पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा/डिग्री 2.शासकीय शाला में ग्रंथपाल के रूप में तीन वर्ष के कार्य का अनुभव.	1. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य –अध्यक्ष 2. प्राचार्य, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान/शिक्षा महाविद्यालय– सदस्य 3. सहायक संचालक/सहा प्राध्यापक स्थापना–सदस्य सचिव	
3.	स्टेनो ग्रेड–3	18	30 (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/ विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.	1. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य –अध्यक्ष	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				2. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था या शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद से— (क) हिन्दी शीघ्रलेखक के लिए कमशः 100 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन. (ख) अंग्रेजी शीघ्रलेखक के लिए कमशः 100 शब्द प्रति मिनट तथा 35 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में अंग्रेजी टाईप लेखन. (ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अंग्रेजी तथा हिन्दी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में टाईप लेखन, परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने का प्रमाण पत्र धारण करता हो. 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री में 10,000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए.	2. प्राचार्य, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान/शिक्षा महाविद्यालय— सदस्य 3. सहायक संचालक/ सहा प्राध्यापक स्थापना—सदस्य सचिव	
4.	**डाटा एन्ट्री आपरेटर**	18	30 (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/ विश्वविद्यालय से कक्षा 12 वीं (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण. अथवा 10 वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण. 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति.	1. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य —अध्यक्ष 2. प्राचार्य, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान/शिक्षा महाविद्यालय— सदस्य 3. सहायक संचालक/ सहा प्राध्यापक स्थापना—सदस्य सचिव	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	कम्प्यूटर डिजाईनर	18	30 (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	1 बी.सी.ए या कम्प्यूटर डिजाईनिंग / ग्राफिक्स में डिप्लोमा तथा शासकीय / अर्द्धशासकीय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था में 02 वर्ष का अनुभव.	1. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य –अध्यक्ष 2. प्राचार्य, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान / शिक्षा महाविद्यालय– सदस्य 3. सहायक संचालक / सहा प्राध्यापक स्थापना–सदस्य सचिव	
6.	स्टेनो टायपिस्ट	18	30 (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल / विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण. 2. किसी मान्यता प्राप्त मंडल / संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट की गति से कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन परीक्षा उत्तीर्ण साथ ही हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति, तथा 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री में 5,000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए.	1. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य –अध्यक्ष 2. प्राचार्य, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान / शिक्षा महाविद्यालय– सदस्य 3. सहायक संचालक / सहा प्राध्यापक स्थापना–सदस्य सचिव	
7.	तकनीकी सहायक	18	30 (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	1. हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण एवं आई टी आई उत्तीर्ण. अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कोपा या समकक्ष योग्यता.	1. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य –अध्यक्ष 2. प्राचार्य, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान / शिक्षा महाविद्यालय– सदस्य 3. सहायक संचालक / सहा प्राध्यापक स्थापना–सदस्य सचिव	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	वाहन चालक	**18**	**30 (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)**	1. हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण. 2. भारी तथा हल्के वाहन चालन हेतु ड्रायविंग लाईसेंस रखता हो.	1. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य –अध्यक्ष 2. प्राचार्य, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान/शिक्षा महाविद्यालय– सदस्य 3. सहायक संचालक/सहा प्राध्यापक स्थापना–सदस्य सचिव	

अनुसूची–तीन (द)
(नियम 8 देखिये)

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अधीन आने वाले जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कर्मचारी

(अ) लिपिक वर्गीय श्रेणी–

स.क्र.	पद के नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं	चयन समिति	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सहायक ग्रेड–III	18	**30 (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)**	**1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण. 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र, तथा 3. कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग में 5,000 की (key)डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए.**	1. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,–अध्यक्ष 2.. जिले के कलेक्टर के द्वारा नामांकित सदस्य – सदस्य 3. सहायक संचालक/सहा प्राध्यापक स्थापना – सदस्य सचिव	
2.	अंग्रेजी टायपिस्ट	18	30 (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण. 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिग्री/ डिप्लोमा, तथा	1. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,–अध्यक्ष 2.. जिले के कलेक्टर के द्वारा नामांकित सदस्य – सदस्य 3.सहायक संचालक/सहा प्राध्यापक स्थापना – सदस्य सचिव	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				3. कम्प्यूटर में अंग्रेजी टायपिंग में 5,000 की (key)डिप्रेंशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए.		

(ब) अलिपिक वर्गीय श्रेणी–

स.क.	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं	चयन समिति	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	स्टेटीशियन	18	30 (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	1.अर्थशास्त्र/वाणिज्य/ गणित/मनोविज्ञान, जिसमें सांख्यकीय एक पेपर के रूप में सम्मिलित है, स्नातकोत्तर डिग्री. या 2. सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर डिग्री.	1. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य–अध्यक्ष 2. प्राचार्य, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान/शिक्षा महाविद्यालय–सदस्य 3. सहायक संचालक/सहा प्राध्यापक स्थापना –सदस्य सचिव	
2.	सहायक प्रोग्रामर	18	30 (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	1. कम्प्यूटर साइंस या इन्फारमेशन टेक्नालॉजी में डिग्री तथा कम्प्यूटर साइंस में एक वर्ष का अनुभव. **या** 2. गणित/भौतिकी/ सांख्यिकी विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातक डिग्री के साथ पी.जी.डी.सी.ए. तथा कम्प्यूटर साइंस में एक वर्ष का अनुभव.	1. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य–अध्यक्ष 2. प्राचार्य, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान/शिक्षा महाविद्यालय– सदस्य 3. सहायक संचालक/सहा प्राध्यापक स्थापना –सदस्य सचिव	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	पुस्तकालय अध्यक्ष	18	30 (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	1. स्नातक तथा पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा/डिग्री. 2.शासकीय शाला में ग्रंथपाल के रूप में तीन वर्ष के कार्य का अनुभव.	1 संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य–अध्यक्ष 2. प्राचार्य, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान/शिक्षा महाविद्यालय–सदस्य 3. सहायक संचालक/सहा प्राध्यापक स्थापना –सदस्य सचिव	
4.	सहायक ग्रंथपाल	18	30 (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	1 स्नातक तथा पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा/डिग्री. 2.शासकीय शाला में ग्रंथपाल के रूप में तीन वर्ष के कार्य का अनुभव.	1. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य–अध्यक्ष 2. प्राचार्य, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान/शिक्षा महाविद्यालय–सदस्य 3. सहायक संचालक/सहा प्राध्यापक स्थापना –सदस्य सचिव	
5.	स्टेनो ग्रेड–3	18	30 (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/ विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण. 2. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था या शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद से:– (क) हिन्दी शीघ्रलेखक के लिए कमशः 100 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन. (ख) अंग्रेजी शीघ्रलेखक के लिए कमशः 100 शब्द प्रति	1. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य–अध्यक्ष 2. प्राचार्य, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान/शिक्षा महाविद्यालय–सदस्य 3. सहायक संचालक/सहा प्राध्यापक स्थापना –सदस्य सचिव	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				मिनट तथा 35 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में अंग्रेजी टाईप लेखन. (ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अंग्रेजी तथा हिन्दी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में टाईप लेखन, परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने का प्रमाण पत्र धारण करता हो. 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री में 10,000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए.		
6.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	18	30 (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/ विश्वविद्यालय से कक्षा 12 वीं (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण. अथवा 10 वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण. 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति.	1. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य—अध्यक्ष 2. प्राचार्य, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान/शिक्षा महाविद्यालय—सदस्य 3. सहायक संचालक/सहा प्राध्यापक स्थापना —सदस्य सचिव	

टीप— उन अभ्यर्थियों के लिये, जो छत्तीसगढ राज्य के मूल निवासी हैं, की उच्चतर आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनी होगी।

अनुसूची–चार (अ)
(नियम 13.14.15.16 एवं 17 देखियें)

लोक शिक्षण संचालनालय

(अ) लिपिक वर्गीय श्रेणी–

स.क्र.	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिससें पदोन्नति की जानी है	पद हेतु अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहायक अधीक्षक	अधीक्षक	05 वर्ष	1. संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा नामांकित सदस्य– अध्यक्ष 2. उप संचालक लोक शिक्षण –सदस्य 3. सहायक संचालक स्थापना– सदस्य सचिव	
2.	सहायक ग्रेड–1	सहायक अधीक्षक	05 वर्ष	1. संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा नामांकित सदस्य– अध्यक्ष 2. उप संचालक लोक शिक्षण –सदस्य 3. सहायक संचालक स्थापना– सदस्य सचिव	
3.	सहायक ग्रेड–II	सहायक ग्रेड–1	05 वर्ष	1. संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा नामांकित सदस्य– अध्यक्ष 2. उप संचालक लोक शिक्षण –सदस्य 3. सहायक संचालक स्थापना– सदस्य सचिव	
4.	लेखापाल / कनिष्ठ लेखा परीक्षक	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	05 वर्ष	1. संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा नामांकित सदस्य– अध्यक्ष 2. उप संचालक लोक शिक्षण –सदस्य 3. सहायक संचालक स्थापना– सदस्य सचिव	वरिष्ठ लेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	सहायक ग्रेड–III	सहायक ग्रेड–II, लेखापाल तथा कनिष्ठ लेखा परीक्षक	05 वर्ष	1. संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा नामांकित सदस्य– अध्यक्ष 2. उप संचालक लोक शिक्षण –सदस्य 3. सहायक संचालक स्थापना– सदस्य सचिव	लेखापाल, कनिष्ठ लेखा **परीक्षक तथा** वरिष्ठ लेखा **परीक्षक में** पदोन्नति के लिये **लेखा** परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये.
6.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (नियमित भृत्य)	सहायक ग्रेड–3	05 वर्ष	1. संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा नामांकित सदस्य– अध्यक्ष 2. उप संचालक लोक शिक्षण –सदस्य 3. सहायक संचालक स्थापना– सदस्य सचिव	संचालनालय में सहायक ग्रेड III के स्वीकृत पदों के 25 प्रतिशत पदों में नियमित भृत्यों को पदोन्नति दी जायेगी.

(ब) अलिपिक वर्गीय श्रेणी–

स.क्र.	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पद हेतु अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	स्टेनो ग्रेड–2	स्टेनो ग्रेड–1	05 वर्ष	1. संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा नामांकित सदस्य– अध्यक्ष 2. उप संचालक लोक शिक्षण –सदस्य 3. सहायक संचालक स्थापना–सदस्य सचिव	
2.	ग्रंथपाल निम्न वेतनमान	ग्रंथपाल उच्च वेतनमान	05 वर्ष	1. संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा नामांकित सदस्य– अध्यक्ष 2. उप संचालक लोक शिक्षण –सदस्य 3. सहायक संचालक स्थापना– सदस्य सचिव	
3.	स्टेनो ग्रेड–3	स्टेनो ग्रेड–2	05 वर्ष	1. संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा नामांकित सदस्य– अध्यक्ष 2. उप संचालक लोक शिक्षण –सदस्य 3. सहायक संचालक स्थापना–सदस्य सचिव	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	स्टेनो टायपिस्ट	स्टेनो ग्रेड–3	05 वर्ष एवं स्टेनो ग्रेड–3 की योग्यता अनुसूची–3 अनुसार होने पर	1. संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा नामांकित सदस्य– अध्यक्ष 2 उप संचालक लोक शिक्षण –सदस्य 3 सहायक संचालक स्थापना– सदस्य सचिव	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या संस्थान से हिन्दी शीघ्रलेखन/मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण.

अनुसूची–चार (ब)
(नियम 13.14.15.16 एवं 17 देखियें)

लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ के अधीन जिला शिक्षा कार्यालय के कर्मचारी

(अ) लिपिक वर्गीय श्रेणी–

स.क.	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिसमें पदोन्नति की जानी है	पद हेतु अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहायक ग्रेड–1	मुख्य लिपिक	05 वर्ष	1. जिला शिक्षा अधिकारी – अध्यक्ष 2. उप संचालक लोक शिक्षण –सदस्य 3.सहायक संचालक स्थापना– सदस्य सचिव	
2.	सहायक ग्रेड–2	सहायक ग्रेड–1	05 वर्ष	1. जिला शिक्षा अधिकारी – अध्यक्ष 2. उप संचालक लोक शिक्षण –सदस्य 3. सहायक संचालक स्थापना– सदस्य सचिव	
3.	लेखापाल/कनिष्ठ लेखा परीक्षक	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	05 वर्ष	1. जिला शिक्षा अधिकारी – अध्यक्ष 2. उप संचालक लोक शिक्षण –सदस्य 3. सहायक संचालक स्थापना– सदस्य सचिव	लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	सहायक ग्रेड–III	सहायक ग्रेड–II, लेखापाल तथा कनिष्ठ लेखा परीक्षक	05 वर्ष	1. जिला शिक्षा अधिकारी – अध्यक्ष 2. उप संचालक लोक शिक्षण –सदस्य 3. सहायक संचालक स्थापना– सदस्य सचिव	लेखापाल, कनिष्ठ लेखा परीक्षक तथा वरिष्ठ लेखा परीक्षक में पदोन्नति के लिये लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये.
5.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (नियमित भृत्य)	सहायक ग्रेड–3	05 वर्ष	1. जिला शिक्षा अधिकारी – अध्यक्ष 2. उप संचालक लोक शिक्षण –सदस्य 3. सहायक संचालक स्थापना– सदस्य सचिव	संचालनालय में सहायक ग्रेड III के स्वीकृत पदों के 25 प्रतिशत पदों में नियमित भृत्यों को पदोन्नति दी जायेगी.

(ब) अलिपिक वर्गीय श्रेणी–

स.क	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पद हेतु अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	स्टेनो ग्रेड–2	स्टेनो ग्रेड–1	05 वर्ष	1. संचालक लोक शिक्षण अथवा उनके द्वारा नामांकित सदस्य– अध्यक्ष 2. उप संचालक लोक शिक्षण– सदस्य 3. सहायक संचालक स्थापना – सदस्य सचिव	
2.	अन्वेषक	सहा. सांख्यकीय अधिकारी	05 वर्ष	1. संचालक लोक शिक्षण अथवा उनके द्वारा नामांकित सदस्य– अध्यक्ष 2. उप संचालक लोक शिक्षण– सदस्य 3. सहायक संचालक स्थापना – सदस्य सचिव	
3.	कनिष्ठ पी टी आई निम्न वेतनमान	वरिष्ठ पी टी आई उच्च वेतनमान	05 वर्ष	1. जिला शिक्षा अधिकारी– अध्यक्ष 2. उप संचालक लोक शिक्षण– सदस्य 3. सहायक संचालक स्थापना – सदस्य सचिव	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	ग्रंथपाल निम्न वेतनमान	ग्रंथपाल उच्च वेतनमान	05 वर्ष	1. संचालक लोक शिक्षण अथवा उनके द्वारा नामांकित सदस्य– अध्यक्ष 2. उप संचालक लोक शिक्षण– सदस्य 3. सहायक संचालक स्थापना – सदस्य सचिव	
5.	स्टेनो ग्रेड–3	स्टेनो ग्रेड–2	05 वर्ष	1. संचालक लोक शिक्षण अथवा उनके द्वारा नामांकित सदस्य– अध्यक्ष 2. उप संचालक लोक शिक्षण– सदस्य 3. सहायक संचालक स्थापना – सदस्य सचिव	

अनुसूची–चार (स)

(नियम 13.14.15.16 एवं 17 देखियें)

संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा इसकी अधीनस्थ संस्थाओं के कर्मचारी

(अ) लिपिक वर्गीय श्रेणी–

स.क.	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिससें पदोन्नति की जानी है	पद हेतु अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मुख्य लिपिक	सहायक अधीक्षक	05 वर्ष	1. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य– अध्यक्ष 2. प्राचार्य, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान / शिक्षा महाविद्यालय –सदस्य 3. सहायक संचालक / सहा प्राध्यापक स्थापना –सदस्य सचिव	
2.	सहायक ग्रेड– II / लेखापाल	मुख्य लिपिक	05 वर्ष	1. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य– [illegible] 2. प्राचार्य, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान / शिक्षा महाविद्यालय –सदस्य 3. सहायक संचालक / सहा प्राध्यापक स्थापना –सदस्य सचिव	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	सहायक ग्रेड III	सहायक ग्रेड II / लेखापाल	05 वर्ष	1. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य– अध्यक्ष 2. प्राचार्य, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान/शिक्षा महाविद्यालय –सदस्य 3. सहायक संचालक/ सहा प्राध्यापक स्थापना –सदस्य सचिव	लेखापाल, कनिष्ठ लेखा परीक्षक तथा वरिष्ठ लेखा परीक्षक में पदोन्नति के लिये लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये.
4.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (नियमित भृत्य)	सहायक ग्रेड–III	05 वर्ष	1. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य– अध्यक्ष 2. प्राचार्य, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान/शिक्षा महाविद्यालय –सदस्य 3. सहायक संचालक/ सहा प्राध्यापक स्थापना –सदस्य सचिव	उ.मा.वि परीक्षा उत्तीर्ण

(ब) अलिपिक वर्गीय श्रेणी–

स.क्र.	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पद हेतु अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहायक ग्रंथपाल निम्न वेतनमान	ग्रंथपाल उच्च वेतनमान	5 वर्ष	1. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य– अध्यक्ष 2. प्राचार्य, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान/शिक्षा महाविद्यालय –सदस्य 3. सहायक संचालक/ सहा प्राध्यापक स्थापना –सदस्य सचिव	

अनुसूची—चार (द)

(नियम 13.14.15.16 एवं 17 देखियें)

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अधीन आने वाले जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कर्मचारी

(अ) लिपिक वर्गीय श्रेणी—

स.क.	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिससें पदोन्नति की जानी है	पद हेतु अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहायक ग्रेड I	अधीक्षक	05 वर्ष	1. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य— अध्यक्ष 2. प्राचार्य, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान/शिक्षा महाविद्यालय —सदस्य 3. सहायक संचालक/सहा प्राध्यापक स्थापना —सदस्य सचिव	
2.	सहायक ग्रेड II/लेखापाल	सहायक ग्रेड I	05 वर्ष	1. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य— अध्यक्ष 2. प्राचार्य, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान/शिक्षा महाविद्यालय —सदस्य 3. सहायक संचालक/सहा प्राध्यापक स्थापना —सदस्य सचिव	
3.	सहायक ग्रेड III	सहायक ग्रेड II / लेखापाल	05 वर्ष	1. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,—अध्यक्ष 2. जिले के कलेक्टर के द्वारा नामांकित सदस्य— सदस्य 3. सहायक संचालक/सहा प्राध्यापक स्थापना —सदस्य सचिव	लेखापाल, कनिष्ठ लेखा परीक्षक तथा वरिष्ठ लेखा परीक्षक में पदोन्नति के लिये लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (नियमित भृत्य)	सहायक ग्रेड–III	05 वर्ष	1. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,–अध्यक्ष 2. जिले के कलेक्टर के द्वारा नामांकित सदस्य– सदस्य 3. सहायक संचालक/सहा प्राध्यापक स्थापना –सदस्य सचिव	

(ब) अलिपिक वर्गीय श्रेणी–

स.क.	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पद हेतु अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहायक ग्रंथपाल	ग्रंथपाल	5 वर्ष	1. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य– अध्यक्ष 2. प्राचार्य, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान/शिक्षा महाविद्यालय –सदस्य 3. सहायक संचालक/ सहा प्राध्यापक स्थापना –सदस्य सचिव	

टीपः– 1. संचालनालय लोक शिक्षण, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एवं जिले के संवर्ग पृथक–पृथक रहेंगे।"

No. F 4-22/20-2/2009.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Education Department Class-III (Ministerial and Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 2009, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For clause (a) and (j) of Rule 2, the following shall be substituted, namely :-

"(a) "Appointing Authority" means Director, Public Instruction Chhattisgarh and Director, State Council of Educational Research and Training, Raipur or the sub-ordinate officer, as the case may be, who has been delegated the power of appointment or who shall be delegated the power in future;

(j) "Director" means Director, Public Instruction Chhattisgarh and Director, State Council of Educational Research and Training, Raipur, as the case may be;"

2. For sub-rule (3) of Rule 8, the following shall be substituted, namely :-
"(3) Fee- The candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority."

3. In sub-rule (4) of Rule 11, after the words "respective classes" the words "the percentage of reservation declared by the Government, from time to time." shall be added.

4. For sub-rule (2) of Rule 15, the following shall be substituted, namely :-
"The selection for inclusion on such list shall be based on seniority-cum-fitness in all respects with due regard to seniority."

5. Proviso of sub-rule (3) of Rule 15 shall be omitted.

6. For heading of Rule 16, the following shall be substituted, namely :-
"16. Approval of Appointing Authority.-"

7. For Schedule–I, II, III and IV, the following shall be substituted, namely :-

"SCHEDULE – I (A)
(See Rule 5)

Employees of Directorate of Public Instruction Chhattisgarh

(A) **Ministerial Grade -**

S. No.	Name of the Post	Total number of Post	Classi-fication	Pay Scale/ Grade Pay	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Superintendent	01	III	9300-34800 G.P. 4300	Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur
2	Assistant Superintendent	04	III	9300-34800 G.P. 4200	Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur
3	Assistant Grade-I	11	III	5200-20200 G.P. 2800	Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur
4	Senior Auditor	01	III	5200-20200 G.P. 2800	Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur
5	Assistant Grade-II	16	III	5200-20200 G.P. 2400	Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur
6	Junior Auditor	03	III	5200-20200 G.P. 2400	Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur
7	Assistant Grade-III	22	III	5200-20200 G.P. 1900	Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur

(B) Non-Ministerial Grade -

S. No.	Name of the Post	Total number of Post	Classi-fication	Pay Scale/ Grade Pay	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Steno Grade-I	01	III	9300-34800 G.P. 4400	Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Steno Grade-II	01	III	9300-34800 G.P. 4300	Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur
3	Assistant Statistical Officer	02	III	9300-34800 G.P. 4300	Deputation
4	Librarian High Pay Scale	01	III	5200-20200 G.P. 2800	Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur
5	Steno Grade-III	03	III	5200-20200 G.P. 2800	Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur
6	Data Entry Operator	04	III	5200-20200 G.P. 1900	Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur
7	Steno Typist	03	III	5200-20200 G.P. 1900	Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur
8	Driver	05	III	5200-20200 G.P. 1900	Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur

SCHEDULE – I (B)
(See Rule 5)

Employees of District Education Office under Directorate of Public Instruction, Chhattisgarh

(A) Ministerial Grade -

S. No.	Name of the Post	Total number of Post	Classi-fication	Pay Scale/ Grade Pay	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Head Clerk (D.E.Os) District Offices	20	III	5200-20200 G.P. 2800	District Education Officer
2	Assistant Grade-I	40	III	5200-20200 G.P. 2800	District Education Officer
3	Senior Auditor	20	III	5200-20200 G.P. 2800	District Education Officer
4	Assistant Grade-II/ Accountant	1863	III	5200-20200 G.P. 2400	District Education Officer
5	Junior Auditor	40	III	5200-20200 G.P. 2400	District Education Officer
6	Assistant Grade-III	2640	III	5200-20200 G.P. 1900	District Education Officer

(B) Non-Ministerial Grade -

S. No.	Name of the Post	Total number of Post	Classi-fication	Pay Scale/ Grade Pay	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Steno Grade-II	07	III	9300-34800 G.P. 4300	Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur
2	Assistant Statistical Officer	20	III	9300-34800 G.P. 4300	Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Senior P.T.I. (For College of Physical Education)	04	III	9300-34800 G.P. 4200	District Education Officer
4	Steno Grade-III	13	III	5200-20200 G.P. 2800	District Education Officer
5	Librarian Senior Pay Scale (1) For District Library (2) For Physical Education College.	08 01	III	5200-20200 G.P. 2800	Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur
6	Data Entry Operator	111	III	5200-20200 G.P. 1900	District Education Officer
7	Investigator	61	III	5200-20200 G.P. 1900	District Education Officer
8	Driver	20	III	5200-20200 G.P. 1900	District Education Officer

SCHEDULE – I (C)
(See Rule 5)

Employees of Director, State Council of Educational Research and Training and its subordinate Institutions

(A) Ministerial Grade -

S. No.	Name of the Post	Total number of Post	Classi-fication	Pay Scale/ Grade Pay	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Assistant Superintendent S.C.E.R.T.	01	III	9300-34800 G.P. 4200	Director, S.C.E.R.T,Raipur
2	Head Clerk 1. I.A.S.E. 2. College of Teacher Education	01 01	III	5200-20200 G.P. 2800	Director, S.C.E.R.T,Raipur
3	Assistant Grade-II/ Accountant 1. S.C.E.R.T. 2. S.I.E.M.A.T. 3. E.L.T.I. 4. I.A.S.E. 5. College of Teacher Education	08 01 01 01 01	III	5200-20200 G.P. 2400	Director, S.C.E.R.T,Raipur

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Assistant Grade-III 1. S.C.E.R.T 2. S.I.E.M.A.T 3. E.L.T.I 4. I.A.S.E 5. College of Teacher Education	 11 01 01 03 03	III	5200-20200 G.P. 1900	Director, S.C.E.R.T,Raipur

(B) Non-Ministerial Grade -

S. No.	Name of the Post	Total number of Post	Classi-fication	Pay Scale/ Grade Pay	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Artist S.C.E.R.T.	01	III	9300-34800 G.P. 4400	Director, S.C.E.R.T,Raipur
2	Assistant Statistical Officer S.C.E.R.T.	01	III	9300-34800 G.P. 4300	Deputation
3	Steno Grade III S.C.E.R.T.	02	III	5200-20200 G.P. 2800	Director, S.C.E.R.T,Raipur
4	Librarian 1. S.C.E.R.T. 2. I.A.S.E 3. College of Teacher Education	 01 01 01	III	5200-20200 G.P. 2800	Director, S.C.E.R.T,Raipur
5	Assistant Librarian S.C.E.R.T.	01	III	5200-20200 G.P. 2800	Director, S.C.E.R.T,Raipur
6	Computer Designer S.C.E.R.T.	01	III	5200-20200 G.P. 2400	Director, S.C.E.R.T,Raipur
7	Technical Assistant Instructor S.I.E.M.A.T.	01	III	5200-20200 G.P. 2400	Director, S.C.E.R.T,Raipur
8	Steno Typist S.C.E.R.T.	03	III	5200-20200 G.P. 1900	Director, S.C.E.R.T,Raipur
9	Data Entry Operator 1. S.C.E.R.T 2. S.I.E.M.A.T 3. E.L.T.I (Samvida)	 02 02 01	III	5200-20200 G.P. 1900	Director, S.C.E.R.T,Raipur
10	Driver 1. S.C.E.R.T 2. I.A.S.E 3. College of Teacher Education	 01 01 01	III	5200-20200 G.P. 1900	Director, S.C.E.R.T,Raipur

SCHEDULE – I (D)
(See Rule 5)

Employees of District Institute of Educational Research and Training Comes under S.C.E.R.T.

(A) Ministerial Grade -

S. No.	Name of the Post	Total number of Post	Classi-fication	Pay Scale/ Grade Pay	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Office Superintendent D.I.E.T.	07	III	9300-34800 G.P. 4300	Director, S.C.E.R.T,Raipur
2	Assistant Grade-1 D.I.E.T.	09	III	5200-20200 G.P. 2800	Director, S.C.E.R.T,Raipur
3	Assistant Grade -II/ Accountant 1. D.I.E.T. 2. B.T.I	 32 02	III	5200-20200 G.P. 2400	Director, S.C.E.R.T,Raipur
4	Assistant Grade- III 1. D.I.E.T. 2. B.T.I 3. D.C.E.	 110 02 03	III	5200-20200 G.P. 1900	Principal D.I.E.T.
5	English Typist D.C.E.	03	III	5200-20200 G.P. 1900	Principal D.I.E.T

(B) Non-Ministerial Grade -

S. No.	Name of the Post	Total number of Post	Classi-fication	Pay Scale/ Grade Pay	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Statistician D.I.E.T.	07	III	9300-34800 G.P. 4300	Director, S.C.E.R.T,Raipur
2	Assistant Programmer D.I.E.T.	09	III	9300-34800 G.P. 4200	Director, S.C.E.R.T,Raipur
3	Hostel Suprintendent D.I.E.T.	09	III	9300-34800 G.P. 4200	Director, S.C.E.R.T,Raipur
4	Steno Grade- III D.I.E.T.	16	III	5200-20200 G.P. 2800	Principal D.I.E.T
5	Head Librarian D.I.E.T.	07	III	5200-20200 G.P. 2800	Principal D.I.E.T
6	Assistant Librarian D.I.E.T.	09	III	5200-20200 G.P. 2800	Principal D.I.E.T
7	Data Entry Operator D.I.E.T.	09	III	5200-20200 G.P. 1900	Principal D.I.E.T

SCHEDULE – II (A)
(See Rule 6)

Employees of Directorate of Public Instruction

(A) Ministerial Grade -

S. No.	Name of the Post	Total number of Post	Percentage of Posts to be filled		By transfer of employees from other services	Remark
			By Direct Recruitment	By Promotion of Original Temporary Members in Service		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Superintendent	01	-	100%	-	-
2	Assistant Superintendent	04	-	100%	-	-
3	Assistant Grade- I	11	25%	75%	-	-
4	Senior Auditor	01	-	100%	-	-
5	Assistant Grade- II	16	-	100%	-	-
6	Junior Auditor	03	-	100%	-	-
7	Assistant Grade -III	22	75%	25%	-	Permanent peons will be promoted in 25% sanctioned post of Assistant Grade-III.

(B) Non-Ministerial Grade -

S. No.	Name of the Post	Total number of Post	Percentage of Posts to be filled		Remarks By transfer of employees from other services	Remark
			By Direct Recruitment	By Promotion of Original Temporary Members in Service		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Steno Grade -I	01	-	100%	-	-
2	Steno Grade- II	01	-	100%	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Assistant Statistical Officer	02	-	-	-	By Deputation from Statical Department
4	Librarian High Pay Scale	01	-	100%	-	-
5	Steno Grade- III	03	80%	20%	-	-
6	Data Entry Operator	05	100%	-	-	-
7	Steno Typist	03	100%	-	-	-
8	Driver	05	100%	-	-	-

SCHEDULE – II (B)
(See Rule 6)

Employees of District Education Offices Comes under Directorate of Public Instruction, Chhattisgarh

(A) Ministerial Grade -

S. No.	Name of the Post	Total number of Post	Percentage of Posts to be filled		By transfer of employees from other services	Remark
			By Direct Recruitment	By Promotion of Original Temporary Members in Service		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Head Clerk	20	-	100%	-	-
2	Assistant Grade- I	40	25%	75%		-
3	Senior Auditor	20	-	100%		-
4	Assistant Grade- II/ Accountant	1862	-	100%	-	-
5	Junior Auditor	40	-	100%	-	-
6	**Assistant Grade -III**	**2855**	**75%**	**25%**	-	

(B) Non-Ministerial Grade -

S. No.	Name of the Post	No. of Post	Percentage of Posts to be filled By Direct Recruitment	By Promotion of Original Temporary Members in Service	By transfer of employees from other services	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Steno Grade -II	07	-	100%	-	-
2	Assistant Statistical Officer	20	-	100%	-	-
3	Senior PTI (Physical Education College)	04	-	100%	-	In case of non availability of regular employees then through limited examination (shiksha Karmi PTI)
4	Librarian Senior Pay Scale for 1-For district 2- Physical Education College	 08 01	 - -	 100% 100%	-	In case of non availability of regular employees then through limited examination (shiksha Karmi Librarian)
5	Steno Grade -III	13	80%	20%		-
6	Data Entry Operator	111	100%	-	-	-
7	Investigator	61	100%	-	-	-
8	Driver	20	100%	-	-	-

SCHEDULE -II (C)
(See Rule 6)

Employees of Director, State Council of Educational Research and Training and its subordinate Institutions

(A) Ministerial Grade -

S. No.	Name of the Post	Total number of Post	Percentage of Posts to be filled		By transfer of employees from other services	Remark
			By Direct Recruitment	By Promotion of Original Temporary Members in Service		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Assistant Superintendent S.C.E.R.T.	01	-	100%	-	-
2	Head Clerk 1. I.A.S.E. 2. College of Teacher Education	 01 01	-	100%		-
3	Assistant Grade-II/ Accountant 1. S.C.E.R.T. 2. S.I.E.M.A.T. 3. E.L.T.I. 4. I.A.S.E. 5. College of Teacher Education	 08 01 01 01 01	-	100%	-	-
4	Assistant Grade-III 1. S.C.E.R.T. 2. S.I.E.M.A.T. 3. E.L.T.I. 4. I.A.S.E. 5. College of Teacher Education	 11 01 01 03 03	75%	25%	-	Permanent peons will be promoted in 25% sanctioned post of Assistant Grade-III.

(B) Non-Ministerial Grade-

S. No.	Name of the Post	Total number of Post	Percentage of Posts to be filled		By transfer of employees from other services	Remark
			By Direct Recruitment	By Promotion of Original Temporary Members in Service		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Artist S.C.E.R.T.	01	100%	-	-	-
2	Assistant Statistical Officer S.C.E.R.T.	01	--	-	-	By Deputation
3	Steno Grade -III S.C.E.R.T.	02	100%	-	-	-
4	Librarian 1. S.C.E.R.T 2. I.A.S.E. 3. College ofTeacher Education	 01 01 01	-	100%	-	-
5	Assistant Librarian S.I.E.M.A.T.	01	100%	-	-	-
6	Computer Designer S.C.E.R.T.	01	100%	-	-	-
7	Technical Assistent Instructer S.I.E.M.A.T.	01	100%	-	-	-
8	Data Entry Operator 1. S.C.E.R.T. 2. S.I.E.M A.T. 3. E.L.T.I. (Contract Base)	 02 02 01	100%	-	-	-
9	Steno Typist S.C.E.R.T.	03	100%	-	-	-
10	Driver 1. S.C.E.R.T. 2. I.A.S.E. 3. College of Teacher Education	 01 01 01	100%	-	-	-

SCHEDULE -- II (D)
(See Rule 6)

Employees of District Institute of Educational Research and Training comes under S.C.E.R.T.

(A) Ministerial Grade -

S. No.	Name of the Post	Total number of Post	Percentage of Posts to be filled		Remarks By transfer of employees from other services	Remark
			By Direct Recruitment	By Promotion of Original Temporary Members in Service		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Office Superintendent D.I.E.T.	07	-	100%	-	-
2	Assistant Grade-I D.I.E.T.	09	25%	75%	-	-
3	Assistant Grade-II/ Accountant 1. D.I.E.T. 2. B.T.I.	 32 02	-	100%	-	-
4	Assistant Grade- III 1. D.I.E.T. 2. B.T.I. 3. E.L.T.I.	 110 02 03	75%	25%	-	Permanent peons will be promoted in 25% sanctioned post of Assistant Grade-III.
5	English Typist E.L.T.I.	03	100%	-	-	-

(B) Non-Ministerial Grade -

S. No.	Name of the Post	Total number of Post	Percentage of Posts to be filled		Remarks By transfer of employees from other services	Remark
			By Direct Recruitment	By Promotion of Original Temporary Members in Service		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Statistician D.I.E.T.	07	100%	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Steno Grade -III D.I.E.T.	16	100%	-	-	-
3	Assistant Programmer D.I.E.T.	09	100%	-	-	-
4	Hostel Suprintendent D.I.E.T.	09	-	-	-	deputation from teaching faculty
5	Head Librarian D.I.E.T.	07	-	100%	-	-
6	Assistant Librarian D.I.E.T.	09	100%	-	-	-
7	Data Entry Operator D.I.E.T.	09	100%	-	-	-

SCHEDULE – III (A)
(See Rule 8)

Employees of Directorate of Public Instruction

(A) Ministerial Grade -

S. No.	Name of the Post	Minimum age limit	Maximum age limit	Education Qualification	Selection Committee	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Assistant Grade III	18	30 (35 years for domicile resident of Chhattisgarh State)	1. Passed (10+2) examination from any recognized Board. 2. Passed one year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute, and 3. Should have speed of data entry 5,000 key depression per hour in Hindi Computer Typing.	1. Director Public Instruction or member nominated by him. - Chairperson 2. Deputy Director Public Instruction. - Member 3. Assistant Director Establishment -Member Secretary	

(B) Non-Ministerial Grade -

S. No.	Name of the Post	Minimum age limit	Maximum age limit	Education Qualification	Selection Committee	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Steno Grade- III	18	30 (35 years for domicile resident of Chhattisgarh State)	1. Passed Higher Secondary Examination or passed (10+2) or 1st year examination of Graduation Course from any recognized Board/ University. 2. From any recognized Board/Institution or Stenography and Typing Council :- (a) Passed Hindi Shorthand and Hindi Typing in Computer with speed of 100 wpm and 30 wpm espectively for Hindi Stenographer. (b) Passed English Shorthand and English Typing in Computer with speed of 100 wpm and 35 wpm espectively for English Stenographer. (c) Passed certificate course of Hindi and English Shorthand and Typing in computer as specified in clause (a) and (b) above for bi-lingual Stenographer.	1. Director Public Instruction or member nominated by him. - Chairperson 2. Deputy Director Public Instruction. - Member 3. Assistant Director Establishment- Member Secretary	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				3. Should have one year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and should have speed of 10,000 key Depression per hour in data entry.		
2	Data Entry Operator	18	Do	1. Passed 12th (10+2) Examination from any recognized Board/ University. Or Passed 10th Board Examination and three years Diploma course in any subject. 2. Should have one year Diploma in Data Entry Operator/ Programming from any recognized Institute and speed of 8,000 key depression per hour in computer in Hindi and English.	1. Director Public Instruction or member nominated by him. - Chairperson 2. Deputy Director Public Instruction. - Member 3. Assistant Director Establish-ment- Member Secretary	
3	Steno Typist	18	Do	1. Passed Higher Secondary Examination or passed (10+2) or 1st year examination of Graduation Course from any recognized Board/ University. 2. Passed Computer Hindi Typing examination with speed of 25wpm along with speed of 60 wpm in Stenography from any recognized Board/Institute, and	1. Director Public Instruction or member nominated by him. - Chairperson 2. Deputy Director Public Instruction. - Member 3. Assistant Director Establish-ment- Member Secretary	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				3. One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and should have speed of 5000 key depression per hour in data entry.		
4	Driver	18	Do	1. Passed Higher Secondary Exam (10+2). 2. Having Driving License for heavy and Light Vehicle Driving.	1. Director Public Instruction or member nominated by him. - Chairperson 2. Deputy Director Public Instruction. - Member 3. Assistant Director Establishment- Member- Secretary	

SCHEDULE -- III (B)
(See Rule 8)

Employees of District Education Offices Comes under Directorate of Public Instruction Chhattisgarh

(A) Ministerial Grade -

S. No.	Name of the Post	Minimum age limit	Maximum age limit	Education Qualification	Selection Committee	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Assistant Grade-III	18	30 (35 years for domicile resident of Chhattisgarh State)	1. Passed (10+2) examination from any recognized Board. 2.Passed one year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/	1.District Education Officer - Chairperson 2. Nominee of District Collector – member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Programming from any recognized institute, and 3. Should have speed of data entry 5,000 key depression per hour in Hindi Computer Typing.	3. Assistant Director Establishment Member Secretary	

(B) Non-Ministerial Grade -

S. No.	Name of the Post	Minimum age limit	Maximum age limit	Education Qualification	Selection Committee	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Assistant Statistical Officer	18	30 (35 years fo domicile resident of Chhattisgarh State)	1. Post graduate degree in Economics/ Commerce / Maths / Psychology including Statistics as one of the paper. OR 2. Post graduate degree in Statistics.	1. Director Public Instruction or member nominated by him. - Chairperson 2. Deputy Director Public Instruction. -Member 3. Assistant Director Establishment-Member Secretary	
2	Senior PTI (Physical Education College)	18	do	1. Graduate degree and Diploma in Physical Education. 2. Minimum three years teaching experience in the Government/ Panchayat School. 3. Graduate degree in Physical Education will be preferred.	1. District Education Officer Chairperson 2. Nominate Officer by District Collector Member 3. Assistant Director Establishment Member Secretary	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Librarian High Pay Scale (1) For District Library (2) For Physical Education College	18	do	**1.** Graduation degree and degree/ diploma in Library Science. **2.** Three years Working experience as Librarian in Government School.	1. Director Public Instruction or member nominated by him. - Chairperson 2. Deputy Director Public Instruction. -Member 3. Assistant Director.. Establish-ment- Member Secretary	
4	Investigator	18	do	**1.** Passed 2nd division Higher Secondary Examination in Economics/Maths / Commerce. 2. D.C.A.in Computers pass will be given preference	1. District Education Officer . Chairperson 2. Nominate Officer by District Collector – Member 3. Assistant Director Establish-ment Member Secretary	
5	Steno Grade- III	18	do	. Passed Higher Secondary Examination or passed (10+2) or 1st year examination of Graduation Course from any recognized Board/ University. 2.From any recognized Board/ Institution or Stenography and Typing Council :- (a) Passed Hindi Shorthand and Hindi Typing in Computer with speed of 100 wpm	1. District Education Officer . Chairperson 2. Nominate Officer by District Collector – Member 3. Assistant Director Establish-ment Member Secretary	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				and 30 wpm respectively for Hindi Stenographer. (b) Passed English Shorthand and English Typing in Computer with speed of 100 wpm and 35 wpm respectively for English Stenographer. (c) Passed certificate course of Hindi and English Shorthand and Typing in computer as specified in clause (a) and (b) above for bi-lingual Stenographer. 3. Should have one year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and should have speed of 10,000 key Depression per hour in data entry.		
6	Data Entry Operator	18	do	1. Passed 12th (10+2) Examination from any recognized Board/ University. Or Passed 10th Board Examination and three years Diploma course in any subject. 2. Should have one year Diploma in Data Entry	1. District Education Officer - Chairperson 2. Nominate Officer by District Collector Member 3. Assistant Director Establishment - Member Secretary	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Operator/ Programming from any recognized Institute and speed of 8,000 key depression per hour in computer in Hindi and English.		
7	Driver	18	do	1. Passed Higher Secondary Examination (10+2). 2. Having Driving License for heavy and Light Driving.	1. District Education Officer. Chairperson 2. Nominate Officer by District Collector – Member 3. Assistant Director Establishment Member Secretary	

SCHEDULE –III (C)
(See Rule 8)

Employees of Director, State Council of Educational Research and Training and its subordinate Institutions

(A) Ministerial Grade -

S. No.	Name of the Post	Mini-mum age limit	Maximum age limit	Education Qualification	Selection Committee	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Assistant Grade-III	18	30 (35 years fo domicile resident of Chhattis-garh State)	1. Passed (10+2) examination from any recognized Board. 2. Passed one year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute, and	1. Director S.C.E.R.T or member nominated by him. - Chairperson 2. Principal I.A.S.E/ College of Teacher Education - Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				3. Should have speed of data entry 5,000 key depression per hour in Hindi Computer Typing.	3. Assistant Director / Assistant Professor Establishment - Member Secretary	

(B) Non-Ministerial Grade -

S. No.	Name of the Post	Minimum age limit	Maximum age limit	Education Qualification	Selection Committee	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Artist	18	30 (35 years for domicile resident of Chhattisgarh State)	1. Post Graduate degree in first division from reconisied institution of fine Arts. 2. 05 Years working experience in Government /semi Government Institute in related field.	1. Director S.C.E.R.T or member nominated by him. - Chairperson 2. Principal I.A.S.E/ College of Teacher Education - Member 3. Assistant Director / Assistant Professor Establishment - Member Secretary	
2	Assistant Librarian	18	do	1. Graduation degree and degree/ diploma in Library Science. 2. Three years Working experience as Librarian in Government School.	1. Director S.C.E.R.T or member nominated by him. - Chairperson 2. Principal I.A.S.E/ College of Teacher Education - Member 3. Assistant Director / Assistant Professor Establishment - Member Secretary	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Steno Grade-III	18	do	1.Passed Higher Secondary Examination or passed (10+2) or 1st year examination of Graduation Course from any recognized Board/ University. 2. From any recognized Board/Institution or Stenography and Typing Council :- (a)Passed Hindi Shorthand and Hindi Typing in Computer with speed of 100 wpm and 30 wpm respectively for Hindi Stenographer. (b)Passed English Shorthand and English Typing in Computer with speed of 100 wpm and 35 wpm respectively for English Stenographer. (c) Passed certificate course of Hindi and English Shorthand and Typing in computer as specified in clause (a) and (b) above for bi-lingual Stenographer.	1. Director S.C.E.R.T or member nominated by him. Chairperson 2. Principal I.A.S.E/ College of Teacher Education - Member 3. Assistant Director / Assistant Professor Establishment - Member Secretary	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				3. Should have one year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and should have speed of 10,000 key Depression per hour in data entry.		
4	Data Entry Operator	18	do	1. Passed 12th (10+2) Examination from any recognized Board/ University. Or Passed 10th Board Examination and three years Diploma course in any subject. 2. Should have one year Diploma in Data Entry Operator/ Programming from any recognized Institute and speed of 8,000 key depression per hour in computer in Hindi and English.	1. Director S.C.E.R.T or member nominated by him. - Chairperson 2. Principal I.A.S.E/ College of Teacher Education - Member 3. Assistant Director / Assistant Professor Establish-ment - Member Secretary	
5	Computer Designer	18	do	Diploma in BCA / Computer designing / graphics experience of two years in Government /semi-government or recognized institutions	1. Director S.C.E.R.T or member nominated by him. - Chairperson 2. Principal I.A.S.E/ College of Teacher Education - Member 3. Assistant Director / Assistant Professor Establish-ment - Member Secretary	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Steno Typist	18	do	1.Passed Higher Secondary Examination or passed (10+2) or 1st year examination of Graduation Course from any recognized Board/ University. 2.Passed Computer Hindi Typing examination with speed of 25wpm alongwith speed of 60 wpm in Stenography from any recognized Board/ Institute, and 3.One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and should have speed of 5000 key depression per hour in data entry.	1. Director S.C.E.R.T or member nominated by him. - Chairperson 2. Principal I.A.S.E/ College of Teacher Education - Member 3. Assistant Director / Assistant Professor Establish-ment - Member Secretary	
7	Technical Assistant	18	do	Passed Higher Secondary Exam (10+2 with I.T.I Passed Or Copa or equivalent qualification from any recognized institution.	1. Director S.C.E.R.T or Member nominated by him. - Chairperson 2. Principal I.A.S.E/ College of Teacher Education - Member 3. Assistant Director / Assistant Professor Establish-ment – Member-Secretary	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Driver	18	do	1.Passed Higher Secondary Examination (10+2). 2.Having Driving License for heavy and Light Vehicle Driving.	1. Director S.C.E.R.T or member nominated by him. - Chairperson 2. Principal I.A.S.E/ College of Teacher Education - Member 3. Assistant Director / Assistant Professor Establishment - Member Secretary	

SCHEDULE – III (D)
(See Rule 8)

Employees of District Institute of Educational Training Centers come under S.C.E.R.T.

(A) Ministerial Grade -

S. No.	Name of the Post	Minimum age limit	Maximum age limit	Education Qualification	Selection Committee	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Assistant Grade- III	18	30 (35 years for domicile resident of Chhattisgarh State)	1.Passed (10+2) examination from any recognized Board. 2. Passed one year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute, and 3. Should have speed of data entry 5,000 key depression per hour in Hindi Computer Typing.	1. Principal D.I.E.T.- Chairperson 2. Nominate Member by District Collector – Member 3. Assistant Director / Assistant Professor Establishment - Member Secretary	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	English Typist	18	do	1. Passed Higher Secondary Exam (10+2) from any recognized board or institution. 2. One year degree/ diploma in data entry operator /programming from any recognized institution Or 3. In computer English typing speed should be 5,000 (key) depression per hour	1. Principal D.I.E.T.- Chairperson 2. Nominate member by District Collector – member 3. Assistant Director / Assistant Professor Establish- ment - Member – Secretary	

(B) Non-Ministerial Grade -

S. No.	Name of the Post	Mini- mum age limit	Maximum age limit	Education Qualification	Selection Committee	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Statistician	18	30 (35 years for domicile resident of Chhattis- garh State)	1. Post graduate degree in Economics/ Commerce/Maths/ Psychology including statistics as one of the paper. Or 2. Post graduate degree in Statistics.	1. Director S.C.E.R.T or member nominated by him. - Chairperson 2. Principal I.A.S.E/ College of Teacher Education - Member 3. Assistant Director / Assistant Professor Establish- ment - Member Secretary	
2	Assistant Programmer	18	do	Degree in Computer science or informa- tion technology and experience of one year in computer science. Or	1. Director S.C.E.R.T or member nominated by him. - Chairperson	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Second division in graduation with Mathematics/ Physics / Statistics along with PGDCA and experience of one year in Computer Science	2. Principal I.A.S.E/ College of Teacher Education - Member 3. Assistant Director / Assistant Professor Establish-ment - Member Secretary	
3	Head Librarian	18	do	1. Graduation and degree/ diploma in Library Science. 2. Three years experience of Librarian in Government School .	1. Director S.C.E.R.T or member nominated by him. - Chairperson 2. Principal I.A.S.E/ College of Teacher Education - Member 3. Assistant Director / Assistant Professor Establish-ment - Member Secretary	
4	Assistant Librarian	18	do	1. Graduation and degree/ diploma in Library Science. 2. Three years working experience of Librarian as Government School.	1. Director S.C.E.R.T or member nominated by him. - Chairperson 2. Principal I.A.S.E/ College of Teacher Education - Member 3. Assistant Director / Assistant Professor Establish-ment - Member Secretary	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Steno Grade - III	18	do	1. Passed Higher Secondary Examination or passed (10+2) or 1st year examination of Graduation Course from any recognized Board/ University. 2. From any recognized Board/Institution or Stenography and Typing Council :- (a)Passed Hindi Shorthand and Hindi Typing in Computer with speed of 100 wpm and 30 wpm respectively for Hindi Stenographer. (b)Passed English Shorthand and English Typing in Computer with speed of 100 wpm and 35 wpm respectively for English Stenographer. (c)Passed certificate course of Hindi and English Shorthand and Typing in computer as specified in clause (a) and (b) above for bi-lingual Stenographer. 3. Should have one year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/ Programming	1. Director S.C.E.R.T or member nominated by him. - Chairperson 2. Principal I.A.S.E/ College of Teacher Education - Member 3. Assistant Director / Assistant Professor Establish-ment - Member Secretary	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				from any recognized institute and should have speed of 10,000 key Depression per hour in data entry.		
6	Data Entry Operator	18	do	1. Passed 12th (10+2) Examination from any recognized Board/ University. Or Passed 10th Board Examination and three years Diploma course in any subject. 2. Should have one year Diploma in Data Entry Operator/ Programming from any recognized Institute and speed of 8,000 key depression per hour in computer in Hindi and English.	1. Director S.C.E.R.T or member nominated by him. - Chairperson 2. Principal I.A.S.E/ College of Teacher Education - Member 3. Assistant Director / Assistant Professor Establish-ment - Member Secretary	

Note- The upper age limit shall be relaxed for the candidates who are bonafide local resident of Chhattisgarh State, as per instruction issued by the General Administration Department, from time to time.

SCHEDULE – IV (A)
(See Rules 13,14,15,16 and 17)

Directorate of Public Instruction

(A) Ministerial Grade -

S. No.	Name of the Post from which promotion is to be made	Name of the post in which promotion is to be made	Experience for the post	Member of Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Assistant Suprintendent	Suprintendent	05 Years	1. Director Public Instruction or member nominated by him. - Chairperson 2. Deputy Director Public Instruction. - Member 3. Assistant Director Establishment - Member Secretary	-
2	Assistant Grade- I	Assistant Suprintendent	05 Years	1. Director Public Instruction or member nominated by him. - Chairperson 2. Deputy Director Public Instruction. - Member 3. Assistant Director Establishment - Member Secretary	-
3	Assistant Grade- II	Assistant Grade- I	05 Years	1. Director Public Instruction or member nominated by him. - Chairperson 2. Deputy Director Public Instruction. - Member 3. Assistant Director Establishment - Member Secretary	-
4	Accountant/ Junior Auditor	Senior Account Auditor	05 Years	1. Director Public Instruction or member nominated by him. - Chairperson 2. Deputy Director Public Instruction. - Member	Senior Account Auditor Accountant Examination should be passed.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				3. Assistant Director Establishment - Member Secretary	
5	Assistant Grade- III	Assistant Grade II, Accountant and Junior Account Examiner	05 Years	1. Director Public Instruction or member nominated by him. - Chairperson 2. Deputy Director Public Instruction. - Member 3. Assistant Director Establishment - Member Secretary	For Promotion in Accountant, Junior Account Auditor and Senior Account Auditor Accountant Examination should be passed.
6	Grade- IV employees (Permanent Peon)	Assistant Grade- III	05 Years	1. Director Public Instruction or member nominated by him. - Chairperson 2. Deputy Director Public Instruction. - Member 3. Assistant Director Establishment - Member Secretary	Permanent peons will be promoted in 25% sanctioned post of Assistant Grade-III.

(B) Non-Ministerial Grade -

S. No.	Name of the Post from which promotion is to be made	Name of the post in which promotion is to be made	Experience for the post	Member of Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Steno Grade- II	Steno Grade - I	05 Years	1. Director Public Instruction or member nominated by him. - Chairperson 2. Deputy Director Public Instruction. -Member 3. Assistant Director Establishment - Member Secretary	-
2	Librarian Low Pay Scale	Librarian High Pay Scale	05 Years	1. Director Public Instruction or member nominated by him. - Chairperson	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				2. Deputy Director Public Instruction. -Member 3. Assistant Director Establishment - Member Secretary	
3	Steno Grade- III	Steno Grade - II	05 Years	1. Director Public Instruction or member nominated by him. - Chairperson 2. Deputy Director Public Instruction. -Member 3. Assistant Director Establishment - Member Secretary	-
4	Steno Typist	Steno Grade III	05 Years	1. Director Public Instruction or member nominated by him. - Chairperson 2. Deputy Director Public Instruction. -Member 3. Assistant Director Establishment - Member Secretary	Passed Hindi short hand/ typing Examination from any recognized board or institution.

SCHEDULE – IV (B)
(See Rules 13,14,15,16 and 17)

Employees of District Education Offices who are under Directorate of Public Instruction Chhattisgarh

(A) Ministerial Grade -

S. No.	Name of the Post from which promotion is to be made	Name of the post in which promotion is to be made	Ex-pericnce for the post	Member of Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Assistant Grade- I	Head Clerk	05 Years	1. District Education Officer . Chairperson 2. Deputy Director Public Instruction - Member 3. Assistant Director Establishment- Member Secretary	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Assistant Grade- II	Assistant Grade I	05 Years	1. District Education Officer Chairperson 2. Deputy Director Public Instruction - Member 3. Assistant Director Establishment- Member Secretary	-
3	Accountant/ Junior Account Auditor	Senior Account Auditor	05 Years	1. District Education Officer Chairperson 2 Deputy Director Public Instruction - Member 3Assistant Director Establishment- Member Secretary	Accountant Examination should be passed
4	Assistant Grade - III	Assistant Grade - II, Accountant and Junior Account Auditor	05 Years	1. District Education Officer Chairperson 2. Deputy Director Public Instruction - Member 3. Assistant Director Establishment- Member Secretary	For Promotion in Accountant, Junior Account Auditor and Senior Account Auditor Accountant Examination should be passed.
5	Grade -IV employees (Permanent Peon)	Assistant Grade -III	05 Years	1. District Education Officer Chairperson 2. Deputy Director Public Instruction - Member 3. Assistant Director Establishment-Member Secretary	Permanent peons will be promoted in 25% sanctioned / post of Assistant Grade-III.

(B) Non-Ministerial Grade -

S. No.	Name of the Post from which promotion is to be made	Name of the post in which promotion is to be made	Experience for the post	Member of Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Steno Grade- II	Steno Grade- I	05 Years	1. Director Public Instruction or member nominated by him. -Chairperson	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				2. Deputy Director Public Instruction. - Member 3. Assistant Director Establishment - Member Secretary	
2	Investigator	Assistant Statistical Officer	05 Years	1. Director Public Instruction or member nominated by him. -Chairperson 2. Deputy Director Public Instruction. - Member 3. Assistant Director Establishment - Member Secretary	-
3	Junior P.T.I. Low Pay Scale	Senior P.T.I. High Pay Scale	05 Years	1. District Education Officer Chairperson 2. Deputy Director Public Instruction. – Member 3. Assistant Director Establishment- Member Secretary	
4	Librarian Low Pay Scale	Librarian High Pay Scale	05 Years	1. Director Public Instruction or member nominated by him. -Chairperson 2. Deputy Director Public Instruction. - Member 3. Assistant Director Establishment - Member Secretary	
5	Steno Grade- III	Steno Grade- II	05 Years	1. Director Public Instruction or member nominated by him. -Chairperson 2. Deputy Director Public Instruction. - Member 3. Assistant Director Establishment - Member Secretary	-

SCHEDULE – IV (C)
(See Rules 13, 14, 15, 16 and 17)

Employees of Director, State Council of Educational Research and Training and its subordinate Institutions

(A) Ministerial Grade -

S. No.	Name of the Post from which promotion is to be made	Name of the post in which promotion is to be made	Experience for the post	Member of Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Head Clerk	Assistant Suprintendent	05 Years	1. Director S.C.E.R.T or member nominated by him. - Chairperson 2. Principal I.A.S.E/ College of Education -Member 3. Assistant Director / Assistant Professor Establishment - Member Secretary	-
2	Assistant Grade -II / Accountant	Head Clerk	05 Years	1. Director S.C.E.R.T or member nominated by him. - Chairperson 2. Principal I.A.S.E/ College of Education -Member 3. Assistant Director / Assistant Professor Establishment - Member Secretary	-
3	Assistant Grade- III	Assistant Grade- II/ Accountant	05 Years	1. Director S.C.E.R.T or member nominated by him. - Chairperson 2. Principal I.A.S.E/ College of Education -Member 3. Assistant Director / Assistant Professor Establishment - Member Secretary	For Promotion in Accountant, Junior Account Examiner and Senior Account Examiner, Accountant Examination should be passed.
4	Grade- IV employees (Permanent Peon)	Assistant Grade III	05 Years	1. Director S.C.E.R.T or member nominated by him. - Chairperson	H.S.S Passed

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				2. Principal I.A.S.E/ College of Education -Member 3. Assistant Director / Assistant Professor Establishment - Member Secretary	

(B) Non-Ministerial Grade -

S. No.	Name of the Post from which promotion is to be made	Name of the post in which promotion is to be made	Experience for the post	Member of Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Librarian Low Pay Scale	Librarian High Pay Scale	05 Years	1. Director S.C.E.R.T or member nominated by him. -Chairperson 2. Principal I.A.S.E/ College of Education - Member 3. Assistant Director / Assistant Professor Establishment - Member Secretary	

SCHEDULE – IV (D)
(See Rules 13, 14, 15, 16 and 17)

Employees of District Institute of Educational Training Centers which come under S.C.E.R.T.

(A) Ministerial Grade -

S. No.	Name of the Post from which promotion is to be made	Name of the post in which promotion is to be made	Experience for the post	Member of Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Assistant Grade - I	Superintendent	05 Years	1. Director S.C.E.R.T or member nominated by him. - Chairperson 2. Principal I.A.S.E/ College of Education -Member	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				3. Assistant Director / Assistant Professor Establishment - Member Secretary	
2	Assistant Grade- II /Accountant	Assistant Grade- I	05 Years	1. Director S.C.E.R.T or member nominated by him. - Chairperson 2. Principal I.A.S.E/ College of Education -Member 3. Assistant Director / Assistant Professor Establishment - Member Secretary	-
3	Assistant Grade- III	Assistant Grade - II/ Accountant	05 Years	1. Principal D.I.E.T.- Chairperson 2. Nominate member by District Collector – Member 3. Assistant Director / Assistant Professor Establishment - Member Secretary	For Promotion in Accountant, Junior Account Examiner and Senior Account Examiner, Accountant Examination should be passed.
4	Grade- IV employees (Permanent Peon)	Assistant Grade -III	05 Years	1. Principal D.I.E.T.- Chairperson 2. Nominate member by District Collector – Member 3. Assistant Director / Assistant Professor Establishment - Member Secretary	

(B) Non-Ministerial Grade -

S. No.	Name of the Post from which promotion is to be done	Name of the post in which promotion is to be done	Experience for the post	Member of Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Assistant Librarian	Librarian	05 Years	1. Director S.C.E.R.T or member nominated by him. - Chairperson	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				2. Principal I.A.S.E/ College of Education -Member 3. Assistant Director / Assistant Professor Establishment - Member Secretary	

Note- The Cadre of Directorate Public Instruction, State Council of Educational Research and Training and district are Separate."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शाण्डिल्य, उप–सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 जून 2013

क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम -2002 (यथा संशोधित 2004) में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :—

छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2004) के नियम–3 के परिशिष्ट–1 में प्रविष्टि 131 के पश्चात् निम्नांकित नई सामग्री सम्मिलित करता है :—

अनुक्रमांक 132 व्हाईट/ब्लैक बोर्ड
अनुक्रमांक 133 इलेक्ट्रिक वेइंग स्केल फॉर चाईल्ड
अनुक्रमांक 134 मेकेनिकल एडल्ट वेइंग स्केल (प्लेटफार्म)
अनुक्रमांक 135–मेकेनिकल बेबी वेइंग स्केल (हेंगिंग)
अनुक्रमांक 136–मेकेनिकल चाईल्ड वेइंग स्केल (हेंगिंग)
अनुक्रमांक 137 प्री स्कूल किट (कुल 27 सामग्रियां) :—

स. क्र. (1)	सामग्री का नाम (2)	स. क्र. (3)	सामग्री का नाम (4)
137.1	काउंटिंग फ्रेम	137.2	रिंग एण्ड स्टेक
137.3	क्रेयान कलर्स	137.4	फ्लेनेल बोर्ड
137.5	बिल्डिंग मेकर्स	137.6	फिसलपट्टी
137.7	रॉकर	137.8	साईकिल तीन पहिया
137.9	प्लास्टिक बैट बॉल	137.10	रिंग
137.11	कूदने की रस्सी	137.12	जानवरों के मुखौटे
137.13	गुड़िया	137.14	पहिए वाली कार/रेलगाड़ी/हवाई जहाज
137.15	टेनिस बॉल	137.16	बालिंग सेट
137.17	डॉक्टर सेट	137.18	फुटबाल
137.19	झूला लकड़ी का	137.20	पजल सेट 03-04

(1)	(2)	(3)	(4)
137.21	लट्टू	137.22	जंपिंग मंकी
137.23	हैड पपेट	137.24	फलौइंग डिस्क
137.25	बालिंग सेट	137.26	फ्लैश कार्ड
137.27	सीटी	137.28	किचन सेट
137.29	ड्राइंग बुक	137.30	हूला-हूप (कमर पर घुमाने वाला रिंग)
137.31	सिलेण्डर बाक्स (लकड़ी का)	137.32	बेसिक शेप बॉक्स
137.33	बच्चों के क्रियात्मक विकास हेतु शैक्षणिक सामग्री.	137.34	पिक्टोरियल चार्ट (5×5)
137.35	प्लास्टिक की डेकोरेटिव चटाई (6×6)	137.36	पी.वी.सी./प्लास्टिक की बड़ी फिसलपट्टी
137.37	प्लास्टिक के बड़े/छोटे सी-सॉ		

यह संशोधन अधिसूचना जारी होने की दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 11 जून 2013

क्रमांक एफ 7-35/2012/32.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 10-10-12 द्वारा विकास योजना दुर्ग-भिलाई भाग-2 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

विकास योजना दुर्ग-भिलाई भाग-2 की स्वीकार्य उपयोग की सारणी क्रमांक-14-सा-5 में संशोधन प्रस्ताव

क्र.	सारणी का क्रमांक	भूमि उपयोग परिक्षेत्र	सारणी के कालम-14-सा-5 में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग में निम्न गतिविधियां जोड़ा जाकर उपांतरण किया जाए
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	14-सा-5	कृषि	निम्न घनत्व आवासीय/वाणिज्यिक/सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक

2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण अधोसंरचना के प्रयोजन के लिए है.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा दुर्ग-भिलाई भाग-2 विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण दुर्ग भिलाई भाग-2 विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलेक्स पॉल मेनन, उप-सचिव.

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 जून 2013

क्रमांक एफ 1–11/2013/स्था/चार :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (राजपत्रित) की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**– (1) ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (राजपत्रित) नियम, 2013 कहलायेंगे।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(ख) "समिति" से अभिप्रेत है अनुसूची–चार में यथाविनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति;

(ग) "आयोग" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;

(घ) "संचालक/आयुक्त" से अभिप्रेत है संचालक/आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़;

(ङ) "परीक्षा" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा;

(च) "वित्त सचिव" से अभिप्रेत है सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ शासन;

(छ) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(ज) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(झ) "सेवा के सदस्य" से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन या इनके प्रारंभ होने के पूर्व बनाये गये नियम या जारी आदेश के अनुसार सेवा संवर्ग में किसी पद पर मूल रूप से नियुक्त व्यक्ति;

(ञ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना कमांक एफ–8–5, पच्चीस–4–84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछडे वर्ग;

(ट) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ठ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ड) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ढ) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (राजपत्रित);

(ण) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य ।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**– (क) सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–
   (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से धारण कर रहे हों;
   (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और
   (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

   (ख) **सेवा का प्रारंभिक गठन** – सेवा का प्रारंभिक गठन निम्नानुसार किया जायेगा:–
   (1) राज्य वित्त सेवा के वे अधिकारी जिनका चयन लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया हो तथा जो राज्य शासन के विभिन्न विभागों में सेवारत हों।
   (2) शेष (बची हुई) ऐसी रिक्तियां, जिन्हें शासन द्वारा छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा से पदोन्नति द्वारा भरी गई हों। प्रत्येक तरीके से इस प्रकार भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या शासन द्वारा अवधारित की जायेगी।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**– सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची–एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा:

   परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या एवं वेतनमान में, समय–समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. **भर्ती का तरीका.**– (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात्:–
   (क) प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से या मेरिट एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन द्वारा, सीधी भर्ती द्वारा;
   (ख) छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

   (2) उप–नियम (1) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची–दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

   (3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा, आयोग के परामर्श से अवधारित की जायेगी।

   (4) उप–नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, आयोग के परामर्श के पश्चात्, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा इस अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश (यथासंशोधित) भी लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.–** इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.–** सीधी भर्ती/चयन के लिए पात्र होने के लिये, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात्:–

(एक) **आयु–** (क) विज्ञापन के जारी होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को उसने अनुसूची–तीन के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) से संबंधित हों तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये, उच्चतर आयु सीमा 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(घ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जाएगी :–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा;

परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 (तीन) वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफरिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो समयपूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(तीन) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);

(चार) अवकाश रिक्तियों पर 6 (छः) माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी;

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 2 (दो) वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(छ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन छत्तीसगढ़ अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अनुसार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(झ) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी;

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशण्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा पूर्व में की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 (आठ) वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

टीप–(1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपरोक्त नियम 8 (घ) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन, परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात, सेवा से त्याग–पत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा अथवा पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं की जाएगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(ट) उपरोक्त संवर्गों के किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट दिए जाने के उपरान्त, शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी;

(ठ) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(दो) **शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव**.– अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये यथा विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव होना चाहिए जैसा कि अनुसूची–तीन में दर्शित है।

(तीन) (क) **फीस.**— अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

(ख) **स्वास्थ्य परीक्षा फीस.**— उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें चिकित्सा मंडल के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपेक्षित किया गया हो, स्वास्थ्य परीक्षा होने के पूर्व चिकित्सा मंडल के अध्यक्ष को ऐसी फीस देनी होगी, जो कि शासन द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये।

9. **निरर्हता.**— अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा चयन के लिए उसे निरर्हित माना जा सकेगा।

(1) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(2) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ्य, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष, जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि आवश्यक समझा जाए, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालयय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद के लिए निरर्हित नहीं होगा।

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.**— (1) चयन हेतु प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे आयोग द्वारा परीक्षा/साक्षात्कार हेतु प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नही किया गया हो, परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(2) चयन प्रक्रिया के समय अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति आयोग द्वारा समाप्त कर दिया जायेगा।

11. **चयन/प्रतियोगिता परीक्षा/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती.**— (1) सेवा में भर्ती के लिये चयन, ऐसे अन्तरालों से किया जायेगा, जैसा कि शासन, आयोग के परामर्श से समय–समय पर, अवधारित करे।

(2) प्रतियोगिता परीक्षा, आयोग के परामर्श से शासन द्वारा समय–समय पर जारी पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना एवं निर्देश के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी।

(3) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाये।

(4) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा इसके अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जायेंगे। आरक्षण समस्तर और प्रभागवार होगा।

(6) उपरोक्त के अतिरिक्त, निःशक्त/भूतपूर्व सैनिक के लिये पद, शासन द्वारा समय–समय पर जारी अधिनियम/नियम/आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।

(7) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमि–लेयर) के सदस्य हैं, नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(8) उपरोक्त के अतिरिक्त, उन अभ्यर्थियों की, जो महिला/निःशक्त/भूतपूर्व सैनिक हैं तथा जो आरक्षण के परिणामस्वरूप चयनित किये गये हैं, नियुक्ति के लिए उसी कम में विचार किया जायेगा जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(9) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमि-लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को दृष्टिगत रखते हुए, नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा पात्र घोषित किया गया हो, उप-नियम (7) के अनुसार, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमि-लेयर) के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(10) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और शासन की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमि-लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमि-लेयर) के अभ्यर्थियों के बारे में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

12. **आयोग द्वारा चयनित किये गये अभ्यर्थियों की सूची.**— (1) आयोग, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रिमी-लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो तथा महिला, निःशक्त/भूतपूर्व सैनिक के प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यर्थी, जो आरक्षण के फलस्वरूप ऐसे स्तर से अर्हित हों, उनकी (ऐसे अभ्यर्थियों की) मेरिट क्रम में सूची, तैयार करेगा, जिसकी वैधता, नियुक्ति के लिए शासन को सूची भेजे जाने की तारीख से एक वर्ष की होगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये आयोग की वेबसाइट पर अधिसूचित की जायेगी।

(3) आयोग द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रत्येक प्रवर्ग के लिए एक चयन सूची तैयार की जायेगी, ऐसे प्रवर्ग के लिये एक प्रतिक्षा सूची भी तैयार की जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों की अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे। सूची की वैधता, ऐसी चयन सूची के जारी किये जाने की तारीख से डेढ़ वर्ष होगी।

स्पष्टीकरण— प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्त पदों के 25% आंकलन के लिएं, इसे पूर्णांक में लाने हेतु, पाइंट को अगले पूर्णांक तक बढ़ा दिया जायेगा।

(4) आयोग, उप-नियम (1) के अधीन तैयार की गई चयन सूची, शासन को नियुक्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित करेगा।

(5) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी कम में विचार किया जायेगा, जिस कम में उनके नाम सूची में आये हों।

(6) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(7) कोई अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, वैधता अवधि में उपस्थिति दर्ज न कराने या त्यागपत्र देने या किन्हीं कारणों से योग्य न पाये जाने पर या वैधता अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर, आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम, नियुक्ति हेतु अनुशंसित किये जा सकेंगे।

(8) यदि प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों का नाम भेजे जाने के लिये शासन से अनुरोध प्राप्त होता है, तो आयोग, उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, प्रतीक्षा सूची से नाम अनुशंसित करेगा तथा इसे शासन को भेजेगा।

(9) आयोग, शासन से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात्, शासन को उसका युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुए अधिकतम 6 माह की कालावधि के लिए चयन सूची की वैधता अवधि में वृद्धि कर सकेगा।

(10) चयन सूची की वैधता अवधि में 6 माह की वृद्धि होने पर, प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की स्वतः वृद्धि हो जाना माना जायेगा।

(11) उप–नियम (8) एवं (9) के अधीन तैयार की गई चयन सूची की वैधता में, आयोग द्वारा तब तक वृद्धि नहीं की जाएगी, जब तक कि शासन ने वृद्धि हेतु युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुए कोई सिफारिश न किया हो।

13. **परिवीक्षा.**— (1) सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(2) यदि कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

(3) परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु योग्य नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**— (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे :

परन्तु, इस उप-नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अनधिक हो।

(3) प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार की जायेगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उप-नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन- नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

15. **पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें.**- (1) उप-नियम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में जिनसे पदोन्नति की जानी है, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में) उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (6) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण- पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति- संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) (एक) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति, वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर की जानी हो अथवा अनुपयुक्त अभ्यर्थी को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी संवर्गों के लिये विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान पद तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(दो) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) के आधार पर की जानी हो वहां विचारण के लिए क्षेत्र कुल रिक्त पदों के दो गुने से

चार अधिक होगा । यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोक सेवकों की पर्याप्त संख्या, पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो, तो विचारण का क्षेत्र में कुल रिक्तियों की संख्या के सात गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचारण क्षेत्र में आये आरक्षित संवर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी । समिति, उक्त विचारण क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी ।

(3) उप–नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त, उपरोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, उनके नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।

(4) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अन्य प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश पदोन्नति के लिये लागू होंगे।

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.**– (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 14 एवं 15 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त, उक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से एक एवं अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे।

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(3) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायेगा।

(4) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित किया जाये कि सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाना है, तो समिति, यथास्थिति, प्रस्तावित अवक्रमण के लिये अपने कारण अभिलिखित करेगी।

17. **आयोग से परामर्श.**– (1) नियम 16 के अनुसार तैयार की गई सूची, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आयोग को भेजी जायेगी:–

(एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख।

(दो) अनुसूची–चार के कॉलम (4) में उल्लिखित ऐसे सभी व्यक्तियों के अभिलेख, जिनका सूची में यथा अनुशंसित अवक्रमण प्रस्तावित है।

(तीन) अनुसूची–चार के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित सेवा के किसी व्यक्ति के प्रस्तावित अवक्रमण के लिये समिति के लेखबद्ध कारण।

(चार) समिति की अनुशंसाओं पर शासन की टिप्पणियां।

(2) यदि पदोन्नति समिति में, आयोग के अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य, जिसे अध्यक्ष/आयोग द्वारा नामांकित किया गया हो, उपस्थित रहें हों तथा यदि बैठक की कार्यवाही विवरण पर अध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हों, तो उप–नियम (1) के अधीन उपरोक्त कार्यवाही अनिवार्य नहीं होगी तथा यह माना जायेगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप–खंड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श संबंधी अपेक्षा का अनुपालन किया गया है तथा आयोग से पृथक परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।

18. **चयन सूची.**– (1) आयोग, शासन से प्राप्त हुए दस्तावेजों के साथ–साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और यदि इसमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक न समझे, तो सूची को अनुमोदित करेगा।

(2) यदि आयोग, सूची में कोई परिर्वतन करना आवश्यक समझे, तो आयोग, अपनी राय, यदि कोई हो, से शासन को सूचित करेगा, किन्तु एक बार उस पर विचार करते हुए, आयोग सूची को आवश्यक संशोधनों सहित, यदि कोई हो, जो उसे न्यायसंगत एवं युक्तियुक्त प्रतीत हो, अनुमोदित करेगा।

(3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित चयन सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (4) में उल्लिखित पदों से, अनुसूची–चार के कॉलम (5) में यथा उल्लिखित पदों पर, सिविल सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए अनुमोदित चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची सामान्यतः इसके तैयार किये जाने की तारीख से कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य रहेगी ।

19. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**– (1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा–संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुसरण किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो शासन की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।

20. **परिवीक्षा.**— सेवा में सीधे अथवा पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

21. (क) **सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति के लिये पात्रता की शर्तें**— सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में सेवारत/कार्यरत केवल ऐसे अधिकारी, वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु पात्र होंगे, अर्थात्:—

(1) जिन्होंने चयन किये जाने वाले वर्ष की 1 जनवरी को, सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो ।

(2) सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों को, सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्त किये जाने हेतु अनुसूची—चार के कॉलम (7) में विनिर्दिष्ट समिति द्वारा विचार किया जाएगा ।

(3) चयन "वरिष्ठता सह योग्यता" के आधार पर किया जायेगा ।

(4) उपरोक्तानुसार चयन सूची, सामान्यतः आगामी एक वर्ष की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जायेगी तथा राज्य सरकार से अनुमोदन पश्चात् सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में, उसमें से नियुक्तियां की जायेंगी ।

(5) उपरोक्त उप—नियम (4) के अध्यधीन रहते हुए शासन द्वारा अनुमोदित चयन सूची, ऐसे अनुमोदन की तारीख से उस वर्ष के 31 दिसम्बर तक की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी:

परन्तु शासन चयन सूची को साधारणतः या जहां कि उसका संबंध किसी विशिष्ट अधिकारी या अधिकारियों से हो, उक्त समयावधि की समाप्ति के पूर्व भी पुनर्विलोकित या पुनरीक्षित कर सकेगा ।

(ख) **सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें** —(1) सेवा के केवल ऐसे अधिकारी, प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने चयन किये जाने वाले वर्ष की 1 जनवरी को, सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में 4 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो ।

(2) सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों को, सेवा की प्रवर श्रेणी में नियुक्त किए जाने हेतु अनुसूची—चार के कॉलम (7) में विनिर्दिष्ट समिति द्वारा विचार किया जायेगा ।

(3) चयन "वरिष्ठता सह योग्यता" के आधार पर किया जायेगा ।

(4) उपरोक्तानुसार चयन सूची, सामान्यतः आगामी एक वर्ष की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जायेगी तथा राज्य सरकार से अनुमोदन पश्चात् सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान में, उसमें से नियुक्तियां की जायेंगी ।

(5) उपरोक्त उप–नियम (4) के अध्यधीन रहते हुए शासन द्वारा अनुमोदित चयन सूची, ऐसे अनुमोदन की तारीख से उस वर्ष के 31 दिसम्बर तक की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी:

परन्तु शासन चयन सूची को साधारणतः या जहां तक कि उसका संबंध किसी विशिष्ट अधिकारी या अधिकारियों से हो, उक्त समयावधि की समाप्ति के पूर्व भी पुनर्विलोकित या पुनरीक्षित कर सकेगा ।

(ग) **सेवा के वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें** – (1) सेवा के केवल ऐसे अधिकारी, वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने चयन किये जाने वाले वर्ष की 1 जनवरी को, सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान में 5 वर्ष सेवा पूर्ण कर ली हो ।

(2) सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों को, सेवा के वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्त किए जाने हेतु अनुसूची–चार कॉलम (7) में विनिर्दिष्ट समिति द्वारा विचार किया जाएगा ।

(3) चयन "वरिष्ठता सह योग्यता" के आधार पर किया जायेगा ।

(4) उपरोक्तानुसार चयन सूची, सामान्यतः आगामी एक वर्ष की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जायेगी तथा राज्य सरकार से अनुमोदन पश्चात् सेवा के वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में, उसमें से नियुक्तियां की जायेंगी ।

(5) उपरोक्त उप–नियम (4) के अध्यधीन रहते हुए शासन द्वारा अनुमोदित चयन सूची, ऐसे अनुमोदन की तारीख से उस वर्ष के 31 दिसम्बर तक की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी :

परन्तु शासन चयन सूची को साधारणतः या जहां तक कि उसका संबंध किसी विशिष्ट अधिकारी या अधिकारियों से हो, उक्त समयावधि की समाप्ति के पूर्व भी पुनर्विलोकित या पुनरीक्षित कर सकेगा।

(घ) **छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा के अधिसमय वेतनमान में नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें** – (1) छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा के केवल ऐसे अधिकारी, अधिसमय वेतनमान में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने चयन किये जाने वाले वर्ष की 1 जनवरी को, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा में 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यरत हो ।

(2) सेवा के वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों को, सेवा के अधिसमय वेतनमान में नियुक्त किए जाने हेतु अनुसूची–चार के कॉलम (7) में विनिर्दिष्ट समिति द्वारा विचार किया जायेगा।।

(3) चयन "वरिष्ठता सह योग्यता" के आधार पर किया जायेगा ।

(4) उपरोक्तानुसार चयन सूची, सामान्यतः आगामी एक वर्ष की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जायेगी तथा राज्य सरकार से अनुमोदन पश्चात् सेवा के अधिसमय वेतनमान में, उसमें से नियुक्तियां की जायेंगी।

(5) उपरोक्त उप–नियम (4) के अध्यधीन रहते हुए शासन द्वारा अनुमोदित चयन सूची, ऐसे अनुमोदन की तारीख से उस वर्ष के 31 दिसम्बर तक की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी :

परन्तु शासन चयन सूची को साधारणतः या जहां तक कि उसका संबंध किसी विशिष्ट अधिकारी या अधिकारियों से हो, उक्त समयावधि की समाप्ति के पूर्व भी पुनर्विलोकित या पुनरीक्षित कर सकेगा ।

22. **निर्वचन.–** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

23. **शिथिलीकरण.–** इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो ।

24. **निरसन एवं व्यावृत्ति.–** (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. ज़े. खत्री, संयुक्त सचिव.

अनुसूची–एक
(नियम 5 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद के संवर्गों का विवरण एवं उनका वेतनमान	स्वीकृत पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वित्त विभाग	छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा	कनिष्ठ वेतनमान 15600–39100 ग्रेड वेतन 5400	143	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	53%
		वरिष्ठ वेतनमान 15600–39100 ग्रेड वेतन 6600	68	राजपत्रित प्रथम श्रेणी	25%
		प्रवर श्रेणी वेतनमान 15600–39100 ग्रेड वेतन 7600	40	राजपत्रित प्रथम श्रेणी	15%
		वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान 37400–67000 ग्रेड वेतन 8700	14	राजपत्रित प्रथम श्रेणी	05%
		अधिसमय वेतनमान 37400–67000 ग्रेड वेतन 8900	05	राजपत्रित प्रथम श्रेणी	02%

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिये)

भर्ती का तरीका

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		टीप
			सीधी भर्ती द्वारा नियम 6 (1) (क) देखिये	पदोन्नति द्वारा नियम 6 (1) (ख) देखिये	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वित्त विभाग	छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा	270	50%	50%	कनिष्ठ वेतनमान में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति तथा वरिष्ठ वेतनमान/प्रवर श्रेणी वेतनमान/वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान /अधिसमय वेतनमान में क्रमोन्नति हेतु पदों की गणना, संवर्ग के पदों की कुल संख्या के आधार पर की जायेगी।

अनुसूची—तीन

(नियम 8 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद का नाम जिससे नियुक्ति की जानी है	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वित्त विभाग	छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा	कनिष्ठ वेतनमान कोषालय अधिकारी/लेखा अधिकारी/सहायक संचालक/आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी/प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि	

टीप— ऐसे अभ्यर्थियों, जो छत्तीसगढ राज्य के वास्तविक स्थानीय निवासी हैं, के लिए, उच्चतर आयु सीमा, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश के अनुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची—चार

(नियम 14 एवं 15 देखिये)

स. क.	विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद का नाम जिससे पदोन्नति/नियुक्ति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति/नियुक्ति की जानी है	पदोन्नति/नियुक्ति हेतु पात्र होने के लिए अनुभव की न्यूनतम अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	वित्त विभाग	छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा	सहायक कोषालय अधिकारी/सहायक आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी/व्याख्याता, लेखा प्रशिक्षण शाला	छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा, कनिष्ठ वेतनमान कोषालय अधिकारी/लेखा अधिकारी/सहायक संचालक/आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी/प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला	05 वर्ष	1 छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा अनुशंसित छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य —अध्यक्ष 2. सचिव वित्त —सदस्य 3. आयुक्त/संचालक, कोष, लेखा तथा पेंशन —सदस्य

2.		छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा	कनिष्ठ वेतनमान कोषालय अधिकारी/लेखा अधिकारी/सहायक संचालक/आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी/प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला	छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा वरिष्ठ वेतनमान/वरिष्ठ कोषालय अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ उप संचालक	06 वर्ष	1. सचिव वित्त–अध्यक्ष 2. अतिरिक्त सचिव/ संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग–सदस्य 3. सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, वित्त –सदस्य 4. आयुक्त/ संचालक, कोष, लेखा तथा पेंशन–सदस्य
3.		छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा	वरिष्ठ वेतनमान– वरिष्ठ कोषालय अधिकारी/ वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ उप संचालक	छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा प्रवर श्रेणी–संयुक्त संचालक/मुख्य लेखा अधिकारी/ वित्तीय सलाहकार (संयुक्त संचालक स्तर)	04 वर्ष	1. वित्त सचिव– अध्यक्ष 2. अतिरिक्त सचिव/ संयुक्त सचिव सामान्य प्रशासन विभाग–सदस्य 3. सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, वित्त– सदस्य 4. आयुक्त/संचालक कोष, लेखा तथा पेंशन– सदस्य
4.		छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा	प्रवर श्रेणी – संयुक्त संचालक/ मुख्य लेखा अधिकारी/वित्तीय सलाहकार	छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा – वरिष्ठ प्रवर श्रेणी–, अपर संचालक	05 वर्ष	1. वित्त सचिव–अध्यक्ष 2. अतिरिक्त सचिव/ संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग –सदस्य. 3. सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, वित्त–सदस्य 4. आयुक्त/ संचालक, कोष, लेखा तथा पेंशन–सदस्य
5.		छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी– अपर संचालक	छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा– अधिसमय वेतनमान– संचालक/ वित्तीय सलाहकार (संचालक स्तर)	छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा में 25 वर्ष की सेवा तथा सेवा के वरिष्ठ प्रवर श्रेणी में कार्यरत।	1. वित्त सचिव– अध्यक्ष 2. अतिरिक्त सचिव/ संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग –सदस्य. 3. सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, वित्त–सदस्य 4. आयुक्त/ संचालक, कोष, लेखा तथा पेंशन–सदस्य

Naya Raipur, the 5th June 2013

No. F 1-11/2013/Est./Four :: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules, regulating the recruitment and conditions of service of the Chhattisgarh State Finance Service (Gazetted), namely:-

RULES

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Chhattisgarh State Finance Service (Gazetted) Rules, 2013.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Government of Chhattisgarh;

(b) "Committee" means a Selection Committee meant for Departmental Promotion as specified in Schedule-IV;

(c) "Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission;

(d) "Director/Commissioner" means the Director/Commissioner of the Treasury, Accounts and Pension, Chhattisgarh;

(e) "Examination" means the competitive examination held for recruitment conducted under rule 11 of these rules;

(f) "Finance Secretary" means the Secretary of Finance Department of the Government of Chhattisgarh;

(g) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

(h) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;

(i) "Member of Service" means persons appointed substantively to the post in the cadre of the service as per the rules and orders issued under or before the commencement of these rules;

(j) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5, XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;

(k) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(l) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(m) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(n) "Service" means the Chhattisgarh State Finance Service (Gazetted);

(o) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and application.-** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the service.-** (A) The service shall consist of the following persons, namely :-

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I;

(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

(B) **Preliminary constitution of service**- The preliminary Constitution of Service shall be formed, as follows:-

(1) Those State Finance Service Officers, whose selection has been made by the Public Service Commission and who are serving in different departments of the State Government.

(2) The remaining such vacancies, which have been filled through the promotion from Chhattisgarh Sub-ordinate Accounts Service by the Government. The number of vacancies to be filled so by each method, shall be determined by the Government.

5. **Classification, scale of pay etc. –** The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment.–**(1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-

(a) by direct recruitment, through competitive examination or by selection on the basis of merit and interview;

(b) by promotion of members of Chhattisgarh Sub-ordinate Account Service.

(2) The number of persons recruited under sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by such method, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, the Government may after consultation with the Commission adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) At the time of recruitment to the service the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and instructions (as amended) issued from time to time under this Act by the General Administration Department of the Government shall apply.

7. **Appointment in service.** – All the appointments to the service after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointments shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.-** In order to be eligible fof direct recruitment/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely :-

(I) **Age-** (a) He must have attained the age as specified in column (4) of Schedule-III and not attained the age as specified in column (5) of the said Schedule on the first day of January, next following the date of issue of the advertisement;

(b) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 5 (five) years, if a candidate belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer);

(c) For women candidates the upper age limit shall be relaxable upto 10 (ten) years as per the provision of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh to the extent and subject to the conditions specified below :-

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government servant should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for any other post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committee;

(iii) A candidate, who is a "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 (seven) years even if represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation- The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than 6 months and who was discharged because of reduction in establishment not more than 3 (three) years prior to the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in the Government service;

(e) A candidate who is an ex-servicemen shall be allowed to deduct from his age the period of all Defence Service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation- The term "Ex-Servicemen" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in the Government service :-

(i) Ex-servicemen released under mustering out concession;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-

(a) Completion of short term engagement;

(b) On fulfilling the conditions of the enrollment.

(iii) Ex-servicemen (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officers);

(iv) Ex-servicemen/Officers discharged after working for more than 6 (six) months continuously against leave vacancies;

(v) Ex-servicemen invalidated out of service;

(vi) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(vii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gunshot, wounds, etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable upto 2 (two) years in respect of Green Card holder candidates under the Family Welfare Programme;

(g) The upper age limit shall be relaxable upto 5 (five) years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the inter-caste marriage incentive scheme as per Chhattisgarh Inter Caste Marriage, Promotional Scheme under untouchability Eradication Rules, 1984;

(h) The upper age limit shall also be relaxable upto 5 (five) years in respect of Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchandra Bhanjdeo Award holder candidates and National Youth Award holder young candidates;

(i) The upper age limit shall be relaxable upto 38 years of age in respect of candidates who are the employees of Chhattisgarh State Corporations/Boards:

(j) The upper age limit shall be relaxed in case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard service rendered so by them subject to the limit of 8 (eight) years but in no case their age should exceed 38 years.

Note– (1) The candidates who are admitted to the examination/selection under the age concessions mentioned in rule 8(d)(i) and (ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or posts after submitting the applications.

(2) In no other case these age limits shall be relaxed. The Departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the selection.

(k) After providing relaxation on the basis of any one or more of the above category for entering in Government service the maximum age limit must not exceed 45 years;

(l) Apart from above in respect of age limit, the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time shall also be applicable.

(II) **Educational qualifications and experience** – The candidate must possess the educational qualifications and experience as prescribed for service as shown in Schedule-III.

(III) **(A)** **Fees** – The candidate must pay the fees prescribed by the Commission.

(B) **Medical Examination Fees** - Those candidates, who have required for appearance before Medical Board, must pay the fees to Chairman of the Medical Board before medical examination, which has prescribed by the State Government, from time to time.

9. **Disqualification.** – Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to be disqualified for selection.

(1) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule in such candidates.

(2) Any candidate shall not be appointed to any service or post until he/ she is declared mentally or physically fit and free from any any mental or physical default which can hinder the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under a condition that, if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

(3) Any candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

(4) Any candidate who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(5) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

(6) Any candidate who is having more than two living offspring, out of which is born on 26th January, 2001 or thereafter, shall not be eligible for any service or post:

Provided that any candidate who is already having one living offspring and next delivery takes place on 26th January, 2001 or thereafter in which two or more than two children are born, shall not be disqualified for any service or post.

10. **Commission's decision about the eligibility of candidates shall be final.**– (1) The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and no candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission for examination/ interview, shall be allowed to be appear in the examination or interview.

(2) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government, if it comes to the notice of the Commission that a candidate has given wrong information or any misinformation is found in the documents submitted by him, then he will be disqualified and his selection/appointment shall be terminated by the Commission.

11. **Direct recruitment by Selection/Competitive Examination/ Interview.**– (1) The selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the Commission, from time to time, determine.

(2) Competitive examination shall be conducted by the Commission as per such syllabus, examination plan and directions issued by the Government on consultation with the Commission, from time to time.

(3) The selection of the candidates to the service shall be made in such manner as may be determined by the Commission.

(4) At the time of recruitment in the service the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) and the directions issued under it by the General Administration Department of the Government from time to time shall be applicable.

(5) There shall be 30 percent reserved posts for women candidates in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997. The reservation shall be Horizontal and Compartment-wise.

(6) In addition to above, the post for disabled/ex-servicemen shall be reserved in accordance with the Act/Rule/Order/Instructions issued by the Government from time to time.

(7) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(8) In addition to above the candidates who may women/disabled/ex-servicemen and who is selected consequent to reservation, shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank with other candidates.

(9) Those candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) who are declared eligible for appointment by the Commission keeping in view of their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) as per sub-rule (7) as the case may be.

(10) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in, by direct recruitment and it is found in the opinion of the Government that there is a possibility of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) may not be available in sufficient number, the Competent Authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).

12. **List of candidates selected by the Commission.-** (1) The Commission shall prepare a list, arranged in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards and the list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who may not be qualified by that standard, but are declared to be suitable by the Commission for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration and the list of candidates of each category belonging to women, disabled/ex-servicemen in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards due to reservation, whose validity for appointment shall be one year from the date of sending the list to the Government.

(2) List so prepared under sub-rule (1) shall be notified on the Commission's website for information to the general public.

(3) A select list for each category shall be prepared by the Commission for filling the vacant posts, for such categories a waiting list shall also be prepared in which minimum one name and maximum names upto 25% of the vacant posts shall be included. The validity of the list shall be one and half year from the date of issue of such select list.

Explanation- While calculating 25% vacant posts in each category, to make it an integer, point shall be extended to the next integral number.

(4) Commission shall forward the selection list prepared under sub-rule (1) to the Government for further action regarding appointment.

(5) Subject to the provisions of this rule and of the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(6) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(7) Any candidate, whose name is included in the selection list, do not join the duty within the valid period, or resigns or for any reason he is found unfit or the selected candidate dies during the valid period, the name of candidate from the waiting list can be recommended by the Commission for appointment.

(8) If a request is being received from the Government asking to send names of the candidates from waiting list, then the Commission, as per the above provisions, will recommend the names from the waiting list and send it to the Government.

(9) Commission after receiving the proposal from the Government, can extend the validity period of selection list for a maximum period of 6 months by stating valid reason to the Government.

(10) On extending the validity period of select list for 6 months, the validity period of waiting list will automatically deem to be extended for 6 months.

(11) The validity of selection list, prepared under sub-rule (8) and (9), shall not be extended by the Commission unless the Government makes any recommendation stating valid reason for extension.

13. **Probation.-** (1) Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

(2) If the work is found unsatisfactory, then the period of probation can be extended by the Appointing Authority for a period upto a maximum of 1 year.

(3) During the period of probation or period extended or at the end of probation period, if the Appointing Authority is of the opinion that any particular candidate is not fit to be an officer, then the services of such probationer can be terminated.

14. **Appointment by promotion.-** (1) There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV, for making preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that under this sub-rule, for constitution of the Committee, provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be applicable.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Every promotion shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and as per model roster.

(4) The procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time.

(5) Certification by the Appointing Authority - Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhede Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

15. **Conditions regarding eligibility for promotion.-** (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Committee shall consider the cases of all persons who on first day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made as specified in column (4) of Schedule-IV or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (6) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation - Method of computation for eligibility for promotion- The calculation of the period of qualifying service on the Ist January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Scrutiny Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which public servant has joined the feeder cadre/part of service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of service/pay scale of the post.

(2) (i) In such cases where promotion is to be given on seniority cum fitness basis or on seniority basis leaving unsuitable candidate, there will be no grounds for consideration for all categories. Proposals of such number of public servants shall only be considered as per seniority that shall be sufficient for filling the existing posts in each category and number of expected vacant post due to retirement/promotion during 1 year.

(ii) In such cases where promotion is to be made on merit cum seniority basis, the area for consideration shall be four more than two times of the total vacant posts. If the sufficient number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Government Servants are not available for promotion then the area of consideration may extend upto 7 times of the total vacant posts and filling up of reserved post may be made from the persons belonging to reserved category above mentioned area of consideration. Committee shall consider to fill the vacancies existing under each category in said area of consideration and the anticipated vacancies on account of retirement and promotion the course of 1 year.

(3) The name of public servant in requisite number for each cadre shall be considered for the purpose of inclusion of his name upto 25 percent of number of public servant included in the selection list or to that of two public servant, whichever is more to fill the unexpected vacancies during above said duration apart from expected vacancies under sub-rule (2).

(4) Promotion shall be made as per Reservation Roster prescribed by the Government.

(5) Other provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the order issued by the General Administration Department from time to time shall be applicable for promotion.

16. **Preparation of list of suitable candidates.-** (1) The Committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the conditions prescribed in rule 14 and 15 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotions during the course of period of 1 year from the date of preparation of the select list. In addition to this a reserve list, which shall consist one and minimum upto 25% in each category, shall be prepared to fill the unexpected vacancies during said period.

(2) The list of suitable officers shall be prepared as per the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Promotion) Rules, 2003.

(3) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(4) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service, as the case may be, then the committee shall record its reason for the proposed supersession.

17. **Consultation with the Commission.-** (1) The list prepared in accordance with Rule 16 shall be sent to the Commission along with following documents:-

(i) the record of all the persons included in the list.

(ii) record of all such persons mentioned in column (4) of Schedule-IV who are proposed for supersession as recommended in the list.

(iii) recorded reasons of the committee for the proposed supersession of any person of the service as mentioned in column (3) of Schedule-IV.

(iv) remarks of the Government on the recommendations of the committee.

(2) If the Chairman of the Commission or any member who is nominated by the Chairman/Commission is present in the promotion committee and if all members of the committee including Chairman have signed on the proceeding of the meeting then the above action under sub-rule (1) is not required and it shall be deemed to be compliance of the requirement of the consultation with the Commission under sub-clause (b) of clause (3) of Article 320 of the Constitution and a separate consultation with the Commission shall not be necessary.

18. **Select list.-** (1) Commission shall consider over the list along with the documents received from the Government, prepared by the committee, if it feel that there is no need of making any changes then it shall approve the list.

(2) If the Commission feels that there is need of some changes in the list, then Commission shall inform the Government with its opinion if any, but once it is

considered, the commission shall approve the list with necessary changes, if any, which it thinks justified and reasonable.

(3) The select list finally approved by the Commission shall be approved select list for promotion of the members of Civil Services as mentioned in column (4) of Schedule-IV from the posts mentioned in column (5) of Schedule-IV.

(4) The select list shall ordinarily valid upto 31st December of the calendar year from the date of its preparation.

19. **Appointment to the service from the select list.-** (1) Appointment of the officers included in the select list to posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such officers appear in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work, which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

20. **Probation.-** Every person recruited directly or by promotion to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.

21. **(A) The conditions of eligibility for appointment in senior pay scale of service** – Only such officers serving / working in the junior pay scale of the service shall be eligible for consideration in the appointment in senior pay scale, namely,-

(1) Who has completed the 6 years service in the junior pay scale on the 1st January of the year in which the selection is made.

(2) Officers working in junior pay scale to the service shall be considered by the Committee specified in column (7) of Schedule- IV for appointment in senior pay scale to the service.

(3) Selection shall be made on the basis of "seniority-cum merit".

(4) The selection list as per above shall be generally prepared considering the requirements of upcoming one year and appointments shall be made from it, in the senior pay scale of the service after approval from the State Government.

(5) Subject to the above sub-rule (4) the selection list approved by the Government shall be valid for the period till 31st December of that year from the date of such approval:

Provided that Government can review or revise the selection list even before the lapse of said time period, in general or as far as concerned with any specific officer or officers.

(B) **The conditions of eligibility for Appointment in the selection grade pay scale of service-** (1) Only such officers of service shall be eligible for consideration to the appointment in selection grade pay scale who has completed the 4 year's service in the senior pay scale on the 1st January of the year in which the selection is made.

(2) Officers working in senior pay scale to the service shall be considered by the Committee specified in column (7) of Schedule IV for appointment in selection grade to the service.

(3) Selection shall be made on the basis of "seniority - cum - merit".

(4) The selection list as per above shall be generally prepared considering the requirements of upcoming one year and appointments shall be made from it, in the Selection Grade Pay Scale of the service after approval from the State Government.

(5) Subject to the above sub-rule (4) the selection list approved by the Government shall be valid for the period till 31st December of that year from the date of such approval:

Provided that the Government can review or revise the selection list even before the lapse of said time period, in general or as far as concerned with any specific officer or officers.

(C) **The conditions of eligibility for Appointment in the senior selection grade pay scale of service--** (1) only such officers of the service shall be eligible for consideration to the appointment in senior selection grade pay scale, who has completed the 5 year's service in selection grade pay scale to the service on the 1st January of the year in which the selection is made.

(2) Officers working in selection grade pay scale to the service shall be considered by the Committee specified in column (7) of Schedule IV for appointment in senior selection grade to the service.

(3) Selection shall be made on the basis of "seniority - cum merit".

(4) The selection list as per said above shall generally be prepared considering the requirements of upcoming one year and appointments shall be made from it, in the senior selection grade pay scale of the service after approval from the State Government.

(5) Subject to the above sub-rule (4) the selection list approved by the Government shall be valid for the period till 31st December of that year from the date of such approval:

Provided that the Government can review or revise the selection list even before the lapse of said time period, in general or as far as concerned with any specific officer or officers.

(D) The conditions of eligibility for Appointment in the Super time pay scale of the Chhattisgarh State Finance Service-

(1) Only such officers of the Chhattisgarh State Finance Service shall be eligible for consideration to the appointment in Super Time pay scale who has completed the 25 years service in the Chhattisgarh State Finance service on the 1st January of the year in which the selection is made and working in senior selection Grade pay scale.

(2) Officers working in senior selection grade pay scale to the service shall be considered by the Committee specified in column (7) of Schedule IV for appointment in super time pay scale to the service.

(3) Selection shall be made on the basis of "seniority - cum merit".

(4) The selection list as per above shall be generally prepared considering the requirements of upcoming one year and appointments shall be made from it, in the Super Time Pay Scale of the service after approval from the State Government.

(5) Subject to the above sub-rule (4) the selection list approved by the Government shall be valid for the period till 31st December of that year from the date of such approval:

Provided that the Government can review or revise the selection list even before the lapse of said time period , in general or as far as concerned with any specific officer or officers.

22. **Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

23. **Relaxation.-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules may apply in such manner as may appear to it to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

24. **Repeal and saving.-** (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

(2) Nothing in these rules shall affect reservation to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
C. J. KHATRI, Joint Secretary.

SCHEDULE- I
(See Rule 5)

Name of the Department	Name of the Service	Description of categories of posts and their pay scales	Total number of posts sanctioned	Classification	Percentage
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Finance Department	Chhattisgarh State Finance Service	Junior Scale 15600-39100 Grade pay 5400	143	Gazetted Class II	53%
		Senior Scale 15600-39100 Grade pay 6600	68	Gazetted Class I	25%
		Selection Grade Scale 15600-39100 Grade pay 7600	40	Gazetted Class I	15%
		Senior Selection Grade Scale 37400-67000 Grade pay 8700	14	Gazetted Class I	05%
		Super time pay scale 37400-67000 Grade pay 8900	05	Gazetted Class I	02%

SCHEDULE- II
(See Rule 6)

Method of Recruitment

Name of the Department	Name of the services	Total number of post	Percentage of number of the posts to be filled in		Note
			By direct recruitment See Rules 6(1) (a)	By promotion See Rules 6(1)(b)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5).	(6)
Finance Department	Chhattisgarh State Finance Service	270	50%	50%	Counting of post for the direct recruitment and promotion to Junior Pay Scale and Kramonnati for Senior pay scale /Selection Grade pay scale / Senior selection pay scale /Super time pay Scale by made on the basis of total number of posts in the cadre .

SCHEDULE- III
(See Rules 8)

Name of the Department	Name of the Service	Name of the posts from which appointment is to be made	Minimum age limit	Maximum Age Limit	Prescribed Educational Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Finance Department	Chhattisgarh State Finance service	Junior scale Treasury Officer/ Accounts Officer/ Assistant Director/ Internal Audit Officer/ Principal Accounts Training School	21 years	30 years	Degree from any recognized University	

Note- The upper age limit shall be relaxed, for the candidates who are bonafide local resident of Chhattisgarh State, as per instruction issued by the General Administration Department, from time to time.

SCHEDULE -IV
(See Rules 14 and 15)

S. No.	Name of the Department	Name of the Service	Name of the posts from which promotion/ appointment is to be made	Name of the posts on which promotion / appointment is to be made	Minimum period of experience for eligibility of promotion/ appointment	Name of members of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Finance Department	Chhattisgarh sub-ordinate Accounts service	Assistant Treasury Officer/ Assistant Audit Officer / sub treasury officer/ Lecturer, Accounts Training school	Chhattisgarh State finance service, Junior scale Treasury Officer/ Accounts Officer/ Assistant Director/ Internal Audit Officer/ Principal Accounts Training School	05 years	1 Chairman of Chhattisgarh Public Service Commission or any member of Chhattisgarh Public Service Commission recommended by Chairman-Chairman 2.Finance Secretary-Member 3.Commissioner/ Director, Treasuries, Accounts and Pension -Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.		Chhattisgarh State Finance	Junior scale Treasury Officer/ Accounts Officer/ Assistant Director/ Internal Audit Officer/ Principal Accounts Training School	Chhattisgarh State Finance service senior pay scale/ Senior Treasury Officer/ Senior Accounts Officer/ Deputy Director	06 years	1 Finance Secretary-Chairman 2. Additional Secretary/ Joint Secretary GAD - Member 3.Secretary/Special Secretary/Joint Secretary, Finance - Member 4.Commissioner/ Director, Treasuries, Accounts and Pension - Member
3.		Chhattisgarh State Finance	Senior pay scale– Senior Treasury Officer/ Senior Accounts Officer/ Deputy Director	Chhattisgarh State Finance service Selection grade– Joint Director / Chief Accounts officer/ Financial Adviser (Joint Director level)	04 years	1 Finance Secretary-Chairman 2. Additional Secretary/ Joint Secretary, GAD-Member 3.Secretary/ Special Secretary/ Joint Secretary, Finance - Member 4.Commissioner / Director, Treasuries, Accounts and Pension -Member
4.		Chhattisgarh State Finance	Selection grade – Joint Director/ Chief Accounts Officer/ Financial Adviser	Chhattisgarh State Finance service- Senior Selection Grade – Additional Director	05 years	1 Finance Secretary-Chairman 2.Additional Secretary/Joint Secretary GAD-Member 3.Secretary/Special Secretary/Joint Secretary, Finance - Member 4.Commissioner / Director, Treasuries, Accounts and Pension - Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.		Chhattisgarh State Finance	Senior Selection Grade – Additional Director	Chhattisgarh State Finance Service- Super time pay scale- Director/ Financial advisor (Director Level)	25 years service in Chhattisgarh State Finance Service and working in Senior selection grade of the service	1 Finance Secretary- Chairman 2.Additional Secretary/Joint SecretaryGAD- Member 3.Secretary/Special Secretary/Joint Secretary, Finance - Member 4.Commissioner/ Director, Treasuries, Accounts and Pension – Member

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 6 जून 2013

क्रमांक/3914/भू-अर्जन/2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	रामपुर प. ह. नं. 21/26	0.894	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	खातूटोला बैराज के अंतर्गत शाखा नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 नवम्बर 2012

क्रमांक 18151.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-पोंड़ीशंकर, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.75 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	1646	0.42
	1644/2	0.33
योग	2	0.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पोंड़ीशंकर जैजैपुर मार्ग पर सोन नदी के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 मई 2013

क्रमांक/3810/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-ठठारी, प.ह.नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.061 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	620	0.061
योग	1	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ठठारी बरभांठा मार्ग पर सोन नदी पर सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 31 मई 2013

प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-बोड़ला
- (ग) नगर/ग्राम-घोंघा, प.ह.नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.963 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	220, 221	0.215
	222/23	0.028
	222/25	0.028
	222/10	0.028
	222/12	0.041
	222/13	0.032
	222/18	0.065
	222/19	0.085
	222/7	0.032
	222/8	0.032
	222/4	0.028
	222/2	0.049
	222/3	0.032
	222/5	0.041
	213/1क	0.227
योग	17	0.964

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चाकरनाला जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 31 मई 2013

प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-बोड़ला
- (ग) नगर/ग्राम-दियाबार, प.ह.नं. 30
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.790 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	34	0.073
	116/1	0.045
	117/1	0.121
	35/1	0.109
	116/3	0.041
	111	0.360
	116/5	0.041
योग	7	0.790

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चाकरनाला जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 13 मई 2012

क्रमांक 55/A/अ/82/वर्ष 2012-13/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-मगरलोड
- (ग) नगर/ग्राम-रेंगाडीह, प.ह.नं. 48
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.07 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
128	0.03
133	0.01
134	0.01
147	0.02
योग 4	0.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-राजाडेरा जलाशय के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 13 मई 2012

क्रमांक 56/A/अ/82/वर्ष 2012-13/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-मगरलोड
- (ग) नगर/ग्राम-राजाडेरा, प.ह.नं. 48
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.71 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
630	0.07
631	0.07
636	0.20
629	0.35
628	0.01
669	0.01
योग 6	0.71

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-राजाडेरा जलाशय के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 13 मई 2012

क्रमांक 57/A/अ/82/वर्ष 2012-13/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-मगरलोड
- (ग) नगर/ग्राम-चारभांठा, प.ह.नं. 48
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.23 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
17	0.03
19	0.42
65	0.02
66	0.03
67	0.02
69	0.02
71	0.07
61/3	0.62
योग 8	1.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-राजाडेरा जलाशय के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एस. मंडावी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी
(रायपुर विकास प्राधिकरण)

रायपुर, दिनांक 17 जून 2013

क्रमांक 3953/यो.शा/विप्रा/2013.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन ई.ए.सी. कालोनी के पुनर्निर्माण हेतु विकास योजना के लिए नगर विकास स्कीम का प्रारूप तैयार किया गया है तथा उसकी एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है—

1. रायपुर विकास प्राधिकरण, बजरंग होटल के पास, शास्त्री चौक, रायपुर
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश रायपुर

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उस स्कीम से प्रभावित किसी व्यक्ति से इस सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर लिखित में प्राप्त हो, उस व्यक्ति को व्यक्तिशः सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यदि ऐसी वांछा करे नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा विचार किया जायेगा.

No. 3953/यो.शा/विप्रा/2013.—Notice is hereby given that a Draft of the Town Development Scheme has been prepared for the area E.A.C. Colony reconstruction Development Scheme under sub-section (3) of section 50 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy thereof is available for inspection during office hours in the office of :—

1. Raipur Development Authority, Near Bajrang Hotel, Shastri Chowk Raipur.
2. Joint Director, Town & Country Planning Raipur.

Any objection or suggestion which may be received in writing from any person affected thereby within 30 days of the publication of this notice in the "Chhattisgarh Gazette" will be considered by the Town and Country Development Authority after having been given him as reporting of being heard in person if he so desires.

सुनील सोनी,
अध्यक्ष.